रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29052025-263456
CG-DL-E-29052025-263456

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 393] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 29, 2025/जयेष्ठ 8, 1947
No. 393] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 29, 2025/JYAISHTHA 8, 1947

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(मानव संसाधन विकास विभाग)

(कॉर्पोरेट कार्यालय, नई दिल्ली)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2025

फा. सं. पीएसबी/मासंवि/ओएसआर/2025-26/1.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 12 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, पंजाब एण्ड सिंध बैंक के निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के पत्र संख्या 4/2/2/2022-आईआर, दिनांक 13 मार्च, 2024 के अनुसरण में किए गए या किए जाने से चूक गए कार्यों के संबंध में, 1 नवंबर 2022 से और आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख तक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1982 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात: -

1. (1) इन विनियमों को पंजाब एण्ड सिंध बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2025 कहा जाएगा।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पंजाब एण्ड सिंध बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1982 (जिसे इसके बाद उक्त विनियम कहा जाएगा) में, विनियम 3 में,-

(क) खंड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(छ) "परिवार", का अर्थ चिकित्सा सुविधाओं और छुट्टी किराया रियायत के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी के संबंध में है–

(क) अधिकारी का जीवनसाथी;

(ख) पूर्णतः आश्रित अविवाहित बच्चे (सौतेले बच्चों और कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चों सहित);

(ग) पूर्णतः आश्रित शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग भाई या बहन, जिनकी दिव्यांगता चालीस प्रतिशत या उससे अधिक हो;

(घ) विधवा बेटियाँ और आश्रित तलाकशुदा या अलग हुई बेटियाँ;

(ङ) अविवाहित या तलाकशुदा या पति से अलग हुई या परित्यक्त या विधवा बहनें शामिल हैं; तथा

(च) माता-पिता जो पूरी तरह से अधिकारी पर निर्भर हैं:

बशर्ते कि शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के मामले में, चाहे उनकी आयु कुछ भी हो, उन्हें विवाह के बाद भी आश्रित माना जाएगा, बशर्ते कि वे आश्रित के लिए आय संबंधी मानदंड को पूरा करते हों।

स्पष्टीकरण 1:– "पूर्णतः आश्रित पारिवारिक सदस्य" से तात्पर्य परिवार के ऐसे सदस्य से है जिसकी मासिक आय ₹18,000/- से अधिक नहीं है और यदि माता-पिता में से किसी एक की मासिक आय ₹18,000/- से अधिक है या माता-पिता दोनों की कुल मासिक आय ₹18,000/- से अधिक है, तो माता-पिता दोनों को अधिकारी पर पूर्णतः आश्रित नहीं माना जाएगा।

स्पष्टीकरण 2:– चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति योजना और छुट्टी किराया रियायत के प्रयोजनों के लिए, सभी अधिकारियों के लिए, अर्थात् पुरुष या महिला, आश्रित पिता, माता, ससुर, सास में से किन्हीं दो को कवर किया जाएगा तथा अधिकारी के पास कैलेंडर वर्ष में एक बार आश्रितों में से किसी एक या दोनों को प्रतिस्थापित करने का विकल्प होगा।

स्पष्टीकरण 3:– यह परिभाषा कैलेंडर वर्ष 2024 के लिए, 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगी और चिकित्सा बीमा योजना के प्रयोजन के लिए, आश्रितों की संशोधित मासिक आय मानदंड 1 नवंबर, 2024 से प्रभावी होगी।

3. उक्त विनियमनों के विनियमन 4 में,–

(क) उप-विनियम 7 का स्पष्टीकरण लोप किया जाएगा।;

(ख) उप-विनियम (8) और (9) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(8) 1 नवंबर, 2022 से प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्दिष्ट वेतनमान निम्नानुसार होंगे:

(क) शीर्ष कार्यपालक श्रेणी

स्केल VII = ₹156500 – 4340/4 – 173860

स्केल VI = ₹140500 - 4000/4 – 156500

(ख) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी

स्केल V = ₹120940 – 3360/2 – 127660 – 3680/2 – 135020

स्केल IV = ₹102300 – 2980/4 – 114220 – 3360/2 – 120940

(ग) मध्य प्रबंधन श्रेणी

स्केल III = ₹85920 – 2680/5 – 99320 – 2980/2 – 105280

स्केल II = ₹64820 – 2340/1 – 67160 – 2680/10 – 93960

(घ) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी

स्केल I = ₹48480 – 2000/7 – 62480 – 2340/2 – 67160 – 2680/7 – 85920.

स्पष्टीकरण - प्रत्येक अधिकारी जो 31 अक्टूबर, 2022 को लागू वेतनमान द्वारा शासित है, उन्हें 1 नवंबर, 2022 से चरण-दर-चरण आधार पर इस उप-विनियमन में निर्धारित वेतनमान में फिट किया जाएगा, अर्थात संबंधित वेतनमान में पहले चरण से आगे के अनुरूप चरणों में और वेतनवृद्धि हमेशा की तरह वार्षिक होगी, सिवाय जहां अन्यथा प्रावधान किया गया हो।

(9) शीर्ष कार्यपालक श्रेणी में मुख्य महाप्रबंधक के पद के लिए वेतनमान निम्नानुसार होगा:

शीर्ष कार्यपालक श्रेणी स्केल VIII = ₹253000 – 9000/4 – 289000

(10) उप-विनियम (1) से (9) में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि बैंक को हर समय इन सभी श्रेणी में सेवारत अधिकारियों की आवश्यकता होगी।

(11) 1 नवंबर, 2012 से अधिकारियों को निम्नानुसार विशेष भत्ते दिए जाएंगे:-

स्केल I - III - मूल वेतन का 7.75% तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता।

स्केल IV - V - मूल वेतन का 10% और उस पर लागू महंगाई भत्ता।

स्केल VI - VII - मूल वेतन का 11% तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता।

(12) 1 नवंबर, 2017 से अधिकारियों को निम्नानुसार विशेष भत्ते का भुगतान किया जाएगा:

स्केल I - III - मूल वेतन का 16.40% तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता

स्केल IV - V - मूल वेतन का 19% और उस पर लागू महंगाई भत्ता

स्केल VI - VII - मूल वेतन का 20% तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता

(13) 1 नवंबर, 2022 से अधिकारियों को निम्नानुसार विशेष भत्ते का भुगतान किया जाएगा:

स्केल I - मूल वेतन का 26.50% तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता

स्केल II - III - मूल वेतन का 28.30% तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता

स्केल IV - V - मूल वेतन का 30.50% और उस पर लागू महंगाई भत्ता

स्केल VI - VII - मूल वेतन का 31.50% तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता

(14) शीर्ष कार्यपालक श्रेणी में मुख्य महाप्रबंधक के पद के लिए विशेष भत्ता निम्नानुसार होगा:

विशेष भत्ता स्केल VIII - मूल वेतन का 28.30% और उस पर लागू महंगाई भत्ता।

टिप्पणी : उप-विनियम (11) से (14) में निर्दिष्ट विशेष भत्ते तथा उस पर लागू महंगाई भत्ते को पेंशन सहित परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (एनपीएस), भविष्य निधि और उपदान जैसे सेवानिवृत्ति लाभों के लिए नहीं गिना जाएगा।"

4. उक्त विनियमनों के विनियमन 5 में,–

(क) उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(1) विनियमन 4 के उप-विनियमन (8) के प्रावधानों के अधीन, 1 नवंबर, 2022 से वेतन वृद्धि निम्नलिखित के अधीन प्रदान की जाएगी, अर्थात्:–

(क) विनियम 4 के उप-विनियम (8) और (9) में निर्धारित वेतनमान में निर्दिष्ट वेतनवृद्धि, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अधीन, वार्षिक आधार पर अर्जित होगी और जिस महीने में यह देय होगी, उसके पहले दिन प्रदान की जाएगी;

(ख) अपने-अपने वेतनमानों में अधिकतम तक पहुंचने के एक वर्ष बाद, स्केल I और स्केल II के अधिकारियों को अगले उच्चतर वेतनमान में स्थिरता वेतनवृद्धि सहित आगे वेतनवृद्धि प्रदान की जाएगी, जैसा कि नीचे खंड (ग) में निर्दिष्ट है, बशर्ते कि वे दक्षता बार को पार कर लें।;

(ग) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी स्केल I के अधिकारी, जो उच्चतर स्केल के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के बाद खंड (ख) के अनुसार मध्य प्रबंधन श्रेणी स्केल II के वेतनमान में अंतरित हो गए हैं, सेवा के प्रत्येक दो पूर्ण वर्षों के लिए सात स्थिर वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे, जिनमें से पहले दो प्रति वेतनवृद्धि ₹2680/- की होंगी और अगली पांच प्रति वेतनवृद्धि ₹2980/- की होंगी:

बशर्ते कि कोई अधिकारी पांचवीं स्थिर वेतनवृद्धि के जारी होने के दो वर्ष बाद या 1 नवंबर 2022 को, जो भी बाद में हो, छठे स्थिर वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा:

बशर्ते आगे कि कोई अधिकारी पांचवीं स्थिर वेतनवृद्धि जारी होने के चार वर्ष बाद या 1 नवंबर 2022, जो भी बाद में हो, सातवीं स्थिर वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा;

(घ) मध्य प्रबंधन श्रेणी स्केल II के अधिकारी, जो खंड (ख) के अनुसार उच्चतर वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के बाद मध्य प्रबंधन श्रेणी स्केल III के वेतनमान में अंतरित हो गए हैं, सेवा के प्रत्येक दो पूर्ण वर्षों के लिए ₹2980/- की सात स्थिर प्रति वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे:

बशर्ते कि कोई अधिकारी पांचवीं स्थिर वेतनवृद्धि के जारी होने के दो वर्ष बाद या 1 नवंबर 2022 को, जो भी बाद में हो, छठी स्थिर वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा;

बशर्ते आगे कि कोई अधिकारी पांचवीं स्थिर वेतनवृद्धि जारी होने के चार वर्ष बाद या 1 नवंबर 2022, जो भी बाद में हो, सातवीं स्थिर वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा;

(ङ) मूल मध्य प्रबंधन श्रेणी स्केल III में अधिकारी, अर्थात जो मध्य प्रबंधन ग्रेड स्केल III में भर्ती किए गए हैं या पदोन्नत किए गए हैं, वे आठ स्थिर वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे, प्रत्येक वेतनवृद्धि वेतनमान के अधिकतम स्तर तक पहुंचने के बाद पूरी की गई सेवा के प्रत्येक दो वर्ष के लिए होगी, जिसमें से पहले चार स्थिर प्रति वेतनवृद्धि ₹ 2980/- की होगी और अगली चार स्थिर प्रति वेतनवृद्धि ₹ 3360/- की होगी:

बशर्ते कि कोई अधिकारी छठी वेतनवृद्धि जारी होने के दो वर्ष बाद या 1 नवंबर 2022, जो भी बाद में हो, सातवीं वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा:

बशर्ते आगे कि कोई अधिकारी छठी वेतनवृद्धि जारी होने के चार वर्ष बाद या 1 नवंबर 2022, जो भी बाद में हो, आठवीं वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा;

(च) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी स्केल IV के अधिकारी पांच स्थिर वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे, प्रत्येक वेतनवृद्धि वेतनमान के अधिकतम स्तर तक पहुंचने के बाद सेवा के प्रत्येक दो पूर्ण वर्षों के लिए होगी, जिसमें से पहली स्थिर वेतनवृद्धि ₹3360/- की होगी और अगली चार स्थिर प्रति वेतनवृद्धि ₹3680/- की होगी:

बशर्ते कि कोई अधिकारी दूसरी स्थिर वेतनवृद्धि के जारी होने के दो वर्ष बाद या 1 नवंबर 2022, जो भी बाद में हो, तीसरी स्थिर वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा:

बशर्ते आगे कि कोई अधिकारी दूसरी वेतनवृद्धि जारी होने के चार वर्ष बाद अथवा 1 नवम्बर 2022, जो भी बाद में हो, चौथी वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा:

बशर्ते कि कोई अधिकारी दूसरी वेतनवृद्धि जारी होने के छह वर्ष बाद अथवा 1 नवम्बर 2022, जो भी बाद में हो, पांचवीं वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा;

(छ) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी स्केल V के अधिकारी वेतनमान के अधिकतम स्तर तक पहुंचने के बाद सेवा के प्रत्येक दो पूर्ण वर्षों के लिए चार स्थिर प्रति वेतनवृद्धि ₹4000/- के लिए पात्र होंगे

बशर्ते कि कोई अधिकारी अधिकतम वेतनमान तक पहुंचने के चार वर्ष बाद या 1 नवंबर 2022, जो भी बाद में हो, द्वितीय स्थिर वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा:

बशर्ते आगे कि कोई अधिकारी अधिकतम वेतनमान प्राप्त करने के छह वर्ष बाद या 1 नवंबर 2022, जो भी बाद में हो, तीसरी स्थिर वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा:

बशर्ते कि कोई अधिकारी अधिकतम वेतनमान प्राप्त करने के आठ वर्ष पश्चात् अथवा 1 नवंबर 2022, जो भी बाद में हो, चौथी स्थिर वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा;

(ज) शीर्ष प्रबंधन श्रेणी स्केल VI के अधिकारी अधिकतम वेतनमान तक पहुंचने के बाद सेवा के प्रत्येक दो पूर्ण वर्षों के लिए तीन स्थिर वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे, जिनमें से पहली दो स्थिर प्रति वेतनवृद्धि ₹4000/- की होंगी और तीसरी स्थिर प्रति वेतनवृद्धि ₹4340/- की होगी:

बशर्ते कि कोई अधिकारी जो पहले ही अधिकतम वेतनमान पर पहुंच चुका है, वह अधिकतम वेतनमान पर पहुंचने के दो वर्ष बाद या 1 नवंबर 2022, जो भी बाद में हो, ₹4000/- की पहली स्थिर वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा:

बशर्ते आगे कि कोई अधिकारी जो पहले ही अधिकतम वेतनमान तक पहुंच चुका है, वह अधिकतम वेतनमान तक पहुंचने के चार वर्ष बाद या 1 नवंबर 2022, जो भी बाद में हो, ₹4000/- की दूसरी स्थिर वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा:

बशर्ते कि कोई अधिकारी जो पहले ही अधिकतम वेतनमान पर पहुंच चुका है, वह अधिकतम वेतनमान पर पहुंचने के छह वर्ष बाद या 1 नवंबर 2022, जो भी बाद में हो, ₹4340/- की तीसरी स्थिर वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा;

(झ) शीर्ष प्रबंधन ग्रेड स्केल VII के अधिकारी वेतनमान की अधिकतम सीमा तक पहुंचने के बाद सेवा के प्रत्येक दो पूर्ण वर्षों के लिए तीन स्थिर प्रति वेतनवृद्धि ₹4340/- के लिए पात्र होंगे:

बशर्ते कि कोई अधिकारी जो पहले ही अधिकतम वेतनमान पर पहुंच चुका है, वह अधिकतम वेतनमान पर पहुंचने के दो वर्ष बाद या 1 नवंबर 2022, जो भी बाद में हो, पहली स्थिर वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा:

बशर्ते आगे कि कोई अधिकारी जो पहले ही अधिकतम वेतनमान पर पहुंच चुका है, वह अधिकतम वेतनमान पर पहुंचने के चार वर्ष बाद या 1 नवंबर 2022, जो भी बाद में हो, दूसरी स्थिर वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा:

बशर्ते कि कोई अधिकारी जो पहले ही अधिकतम वेतनमान पर पहुंच चुका है, वह अधिकतम वेतनमान पर पहुंचने के छह वर्ष बाद या 1 नवंबर 2022, जो भी बाद में हो, तीसरी स्थिर वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा।

टिप्पणी : इस उप-विनियम के खंड (ग) से (झ) में उल्लिखित वेतनवृद्धि उस अधिकारी को नहीं दी जाएगी जो पदोन्नति का प्रस्ताव मिलने पर उसे अस्वीकार कर देता

"स्पष्टीकरण: *इस उप-विनियम के अंतर्गत अगले उच्चतर वेतनमान में ऐसी वेतनवृद्धि प्रदान करना पदोन्नति नहीं माना जाएगा और अधिकारियों के विशेषाधिकार, सुविधाएं, कर्तव्य और जिम्मेदारियां उनके मूल पद के रूप में जारी रहेंगी"।*

(ख) उप-विनियम (2) में,–

(i) स्पष्टीकरण से पहले, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"बशर्ते कि 1 नवंबर, 2022 से सीएआईआईबी या भारतीय बैंकर्स संस्थान की प्रमाणित एसोसिएट परीक्षा (सीएआईआईबी-II) के भाग II को पूरा करने वाले अधिकारी अपने वेतनमान में दो वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे, इसके अलावा भारतीय बैंकर्स संस्थान की जूनियर एसोसिएट परीक्षा (जेएआईआईबी) या भारतीय बैंकर्स संस्थान की प्रमाणित एसोसिएट परीक्षा (सीएआईआईबी-I) के भाग I को पूरा करने पर एक वेतन वृद्धि:

बशर्ते आगे कि जो अधिकारी 1 नवंबर, 2022 तक बैंक की सेवाओं में थे और पहले ही सीएआईआईबी या सीएआईआईबी-II पूरा कर चुके हैं, वे 1 नवंबर, 2022 या सीएआईआईबी या सीएआईआईबी II उत्तीर्ण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से दूसरे अतिरिक्त वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे:

बशर्ते कि ऐसे मामले में जहां किसी अधिकारी ने 8 मार्च, 2024 तक वेतनमान के अधिकतम स्तर (जेएआईआईबी या सीएआईआईबी के मामले में) पर पहुंचने के बाद या वेतनमान के अधिकतम स्तर से एक स्तर कम स्तर पर पहुंचने के बाद जेएआईआईबी या सीएआईआईबी-I या सीएआईआईबी (सीएआईआईबी-II) प्राप्त कर लिया है या प्राप्त करने जा रहा है [सीएआईआईबी (सीएआईआईबी II) के मामले में] और उसने ऐसी योग्यता प्राप्त करने के कारण अन्यथा हकदार वेतनवृद्धि अर्जित नहीं की है, जब उन कर्मचारियों के वेतनमान में प्रदान करने के लिए कोई वेतनवृद्धि नहीं थी, ऐसे मामलों में स्थिर वेतनवृद्धि एक वर्ष या दो वर्ष, जैसा भी मामला हो, आगे बढ़ाई जा सकती है।"

(ii) स्पष्टीकरण में, खंड (ज) के बाद और टिप्पणी से पहले, निम्नलिखित खंड डाला जाएगा, अर्थात्:–

"(i) 1 नवंबर, 2022 से, अन्य स्थिति समान होने पर, व्यावसायिक योग्यता वेतन की मात्रा निम्नलिखित तालिका में निर्दिष्ट अनुसार संशोधित होगी, अर्थात्,–

तालिका

1	जिन्होंने भारतीय बैंकर्स संस्थान के जूनियर एसोसिएट या भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट पार्ट-I (सीएआईआईबी-I) परीक्षा उत्तीर्ण की हो।	वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के एक वर्ष बाद ₹1370/- प्रति माह।
2	जिन्होंने सीएआईआईबी या भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट (सीएआईआईबी-II) के दोनों भाग उत्तीर्ण किए हों।	क) वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के एक वर्ष बाद ₹1370/- प्रति माह; ख) वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के एक वर्ष बाद ₹3425/- प्रति माह; तथा ग) वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के एक वर्ष बाद ₹5480/- प्रति माह।

बशर्ते कि वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के बाद भारतीय बैंकर्स संस्थान के जूनियर एसोसिएट या भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट (दोनों में से कोई एक या दोनों भाग) योग्यता प्राप्त करने वाले अधिकारी को ऐसी योग्यता प्राप्त करने की तिथि से व्यावसायिक योग्यता वेतन की पहली किस्त प्रदान की जाएगी और व्यावसायिक योग्यता वेतन की बाद की किस्तों का भुगतान ऐसी व्यावसायिक योग्यता वेतन की पहली किस्त की भुगतान की तारीख के संदर्भ में होगी।";

(iii) टिप्पणी में, खंड (v) के बाद, निम्नलिखित खंड डाले जाएंगे:

"(vi) वे अधिकारी जो 1 नवंबर, 2022 तक बैंक की सेवाओं में थे और जिन्होंने पहले ही जेएआईआईबी (सीएआईआईबी-I) या सीएआईआईबी (सीएआईआईबी-II) पूरा कर लिया है और व्यावसायिक योग्यता वेतन-II प्राप्त कर रहे हैं, वे व्यावसायिक योग्यता वेतन-II जारी होने के एक वर्ष बाद या 1 नवंबर, 2022 से, जो भी बाद में हो, व्यावसायिक योग्यता वेतन-III के लिए पात्र होंगे।

(vii) जिन अधिकारियों ने जेएआईआईबी (सीएआईआईबी-I) या सीएआईआईबी (सीएआईआईबी-II) पूरा कर लिया है और 1 नवंबर, 2022 को या उससे पहले वेतनमान में अधिकतम तक पहुंच गए हैं और 1 नवंबर 2022 को या उससे पहले पहली स्थिर वेतनवृद्धि प्राप्त नहीं की है, वे 1 नवंबर, 2022 से व्यावसायिक योग्यता वेतन-I के लिए पात्र होंगे और व्यावसायिक योग्यता वेतन की बाद की जारी किस्त इस खंड के तहत व्यावसायिक योग्यता वेतन I के जारी करने की तारीख के संदर्भ में होगी।

(viii) स्केल VIII के अधिकारी व्यावसायिक योग्यता भत्ते के लिए पात्र नहीं होंगे और यह वेतन पर्ची घटकों का हिस्सा नहीं होगा।"

(ग) उप-विनियम (3) में,–

(i) खंड (छ) के बाद का टिप्पणी हटा दिया जाएगा;

(ii) खंड (छ) के बाद, निम्नलिखित खंड डाला जाएगा, अर्थात्:–

"(ज) 1 नवंबर, 2022 से, अन्य स्थिति के समान होने पर, मकान किराया भत्ते के साथ निश्चित व्यक्तिगत वेतन निम्नलिखित दरों पर होगा और सेवा की पूरी अवधि के लिए स्थिर रहेगा:-

तालिका

वेतन वृद्धि घटक (₹)	**वेतन वृद्धि घटकों पर 01नवंबर, 2022 को महंगाई भत्ता (₹)**	**देय कुल नियत व्यक्तिगत वेतन, जहां बैंक का निभाव उपलब्ध है (₹)**
(1)	**(2)**	**(3)**
2680	200	2880
2980	222	3202
3360	250	3610
3680	274	3954
4000	298	4298
4340	323	4663

(झ) अन्य बातें समान होने पर, शीर्ष कार्यपालक ग्रेड स्केल-VIII में मुख्य महाप्रबंधक के पद के लिए मकान किराया भत्ते के साथ नियत व्यक्तिगत वेतन, नीचे तालिका में दी गई दरों पर होगा और सेवा की पूरी अवधि के लिए स्थिर रहेगा:

तालिका

वेतन वृद्धि घटक (₹)	**वेतन वृद्धि घटकों पर महंगाई भत्ता (₹)**	**देय कुल नियत व्यक्तिगत वेतन, जहां बैंक का निभाव उपलब्ध है (₹)**
(1)	**(2)**	**(3)**
9000	669	9669

टिप्पणी :

(क) इस उप-विनियमन के खंड (ख), (ग), (घ), (ङ), (छ), (छ), (ज) और (झ) में तालिका के कॉलम (3) के अंतर्गत इंगित नियत व्यक्तिगत भत्ता या नियत व्यक्तिगत वेतन उन अधिकारियों कर्मचारियों को देय होगा जिन्हें बैंक का आवास प्रदान किया जाता है।

(ख) मकान किराया भत्ते के लिए पात्र अधिकारियों के लिए नियत वैयक्तिक भत्ता अथवा नियत वैयक्तिक वेतन, उक्त तालिका के कॉलम (2) और (3) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कुल राशि होगी तथा संबंधित अधिकारी कर्मचारियों द्वारा विनियमन 4 के उप-विनियमन (2), (3), (4), (5), (6) और (7) में विनिर्दिष्ट प्रासंगिक वेतनमान की अंतिम वेतन वृद्धि अर्जित करने पर प्राप्त किया गया मकान किराया भत्ता होगा।

(ग) केवल वे अधिकारी जो 1 नवम्बर, 1993 को या उससे पहले बैंक की सेवा में रहे हों, वे अपने अधिकतम वेतनमान तक पहुंचने के एक वर्ष पश्चात नियत वैयक्तिक वेतन के लिए पात्र होंगे।

(घ) 1 नवंबर 1999 से, निश्चित व्यक्तिगत वेतन जारी होने के कारण उप-विनियमन (2) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के अनुसार व्यावसायिक योग्यता वेतन जारी करने की अनुसूची में कोई परिवर्तन नहीं होगा :

बशर्ते जहां व्यावसायिक योग्यता वेतन की कोई किस्त, जो पूर्ववर्ती उपबंधों के कारण एक वर्ष के लिए आगे स्थगित हो गई है और 1 नवम्बर, 1999 को या उसके पश्चात जारी होने वाली है, अधिकारी को इसी तिथि से जारी की जाएगी और व्यावसायिक योग्यता वेतन की द्वितीय किस्त, यदि कोई हो, 1 नवम्बर, 2000 को जारी की जाएगी।

(ङ) नियत व्यक्तिगत भत्ता या नियत व्यक्तिगत वेतन का वेतन वृद्धि घटक सेवानिवृत्ति लाभ के लिए श्रेणीबद्ध किया जाएगा।

(च) अधिकारी, जिसने उपर्युक्त खंड (क) के अनुसार अग्रिम वेतन वृद्धि अर्जित की है, वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात, इस उप-विनियमन के खंड (ख), (ग), (घ), (ङ), (छ), (छ), (ज) और (झ) में उल्लिखित नियत वैयक्तिक भत्ता अथवा नियत वैयक्तिक वेतन की प्रमात्रा आहरित करेगा।".

5. विनियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित विनियमन प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(7) नियुक्त तिथि पर वर्गीकरण- विनियम 6 के प्रावधानों के अधीन, नियुक्त तिथि से तुरंत पहले बैंक में विद्यमान पदों या वेतनमान में कार्यरत अधिकारियों को नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा:-

तालिका

पद	**ग्रेड या स्केल जिसमें नियतन किया गया**
(1)	(2)
मुख्य महाप्रबंधक	शीर्ष कार्यपालक श्रेणी वेतनमान VIII
महाप्रबंधक	शीर्ष कार्यपालक श्रेणी वेतनमान VII
उप महाप्रबंधक	शीर्ष कार्यपालक श्रेणी वेतनमान VI
सहायक महाप्रबंधक	वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान V
मुख्य प्रबंधक	वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान IV
वरिष्ठ प्रबंधक	मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान III
प्रबंधक	मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II
स्केल II में नियत के अतिरिक्त अन्य अधिकारी या उप-प्रबंधक	कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान I

बशर्ते उपर्युक्त वर्गीकरण से प्रोद्भूत होने वाली किसी भी कठिनाई या विसंगति को प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से मिलकर बनी समिति को उसके निर्णय के लिए भेजा जाएगा, जिन्हें सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया जा सकता है।".

6. उक्त विनियम के विनियमन 21 में –

(क) उप-विनियम (6) में, खंड (ख) में स्पष्टीकरण में, कोष्ठक, अक्षर और शब्द "(छ) और (ज)" के स्थान पर, कोष्ठक, अक्षर और शब्द "(छ), (ज) और (झ)" प्रतिस्थापित किए जाएंगे; और

(ख) उप-विनियमन (7) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियमन (8) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

"(8) 1 नवंबर, 2022 से,-

(i) महंगाई भत्ता, सूचकांक के प्रति प्रतिशत बिंदु पर वेतन का 1 प्रतिशत देय होगा;

(ii) औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधार 2016=100 के तिमाही औसत में 123.03 अंकों से अधिक की वृद्धि या गिरावट के प्रत्येक विचलन के लिए उपर्युक्त तरीके से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। सीपीआई 2016 के प्रत्येक द्वितीय दशमलव स्थान में 123.03 अंकों से अधिक विचलन के लिए वेतन पर महंगाई भत्ते में 0.01% परिवर्तन;

(iii) महंगाई भत्ते की दर में परिवर्तन 1 मई, 1 अगस्त, 1 नवंबर और 1 फरवरी को निम्नलिखित के अनुसार तिमाही आधार पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:-

क्र. सं.	महंगाई भत्ता निर्गमन तिथि	माह के सीपीआई अंकों का तिमाही औसत	माह के लिए प्रयोज्य
1	1 मई	जनवरी, फरवरी और मार्च	मई, जून और जुलाई
2	1अगस्त	अप्रैल, मई और जून	अगस्त, सितंबर और अक्तूबर
3	1 नवंबर	जुलाई, अगस्त और सितंबर	नवंबर, दिसंबर और जनवरी
4	1 फरवरी	अक्तूबर, नवंबर और दिसंबर	फरवरी, मार्च और अप्रैल

(iv) महंगाई भत्ते की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी

(v) तिमाही औसत निकालते समय केवल प्रथम दो दशमलवों पर विचार किया जाएगा।"

7. उक्त विनियम के विनियमन 22 में, उप-विनियमन (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियमन को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

'(1) 01 नवंबर, 2022 से, -

(i) जहां किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है, वहां वेतनमान के प्रथम चरण में मूल वेतन के 0.35 प्रतिशत के बराबर राशि या आवास के लिए मानक किराया, इनमें से जो भी कम हो, उससे वसूल किया जाएगा;

(ii) जहां किसी अधिकारी को बैंक द्वारा कोई आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है, वह निम्नलिखित तालिका में निर्दिष्ट दरों पर मकान किराया भत्ते के लिए पात्र होगा, अर्थात:-

तालिका

क्र. सं.	कार्यस्थल	मकान किराया भत्ता
(1)	(2)	(3)
1	वर्ग ए में प्रमुख **"ए"** श्रेणी के शहरों और परियोजना क्षेत्र केंद्रों में	वेतन का 10.0%
2	क्षेत्र **I** में अन्य स्थान और वर्ग बी और गोवा राज्य में परियोजना क्षेत्र केंद्रों में	वेतन का 9.0%
3	अन्य स्थानों में	वेतन का 8.0%

बशर्ते यदि कोई अधिकारी किराये की रसीद प्रस्तुत करता है तो उसे देय मकान किराया भत्ता, उपरोक्त तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित दरों के अनुसार देय मकान किराया भत्ते के अधिकतम 150 प्रतिशत के अधीन, अधिकारी के वेतनमान के प्रथम प्रक्रम में वेतन के 0.35 प्रतिशत से अधिक, उसके द्वारा अपने आवास के लिए भुगतान किया गया वास्तविक किराया होगा।

टिप्पणी : अपने स्वामित्व आवास की लागत से संबद्ध मकान किराया भत्ते हेतु अधिकारियों के दावे भी पूर्ववत मकान किराया भत्ते के 150 प्रतिशत तक सीमित रहेंगे।".

8. उक्त विनियम के विनियमन 23 में-

(i) उप विनियम (1) और (2) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(1) 1 नवंबर, 2022 से, यदि कोई अधिकारी नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित स्थान पर सेवारत है तो उस स्थान के विरुद्ध कॉलम (3) में उल्लिखित दर पर नगर प्रतिपूरक भत्ता देय होगा।

तालिका

क्र. सं.	स्थान	दर
(1)	(2)	(3)
1	क्षेत्र 1 और उससे ऊपर तथा गोवा राज्य के स्थान	₹2300/- प्रतिमाह
2	पांच लाख और उससे अधिक की आबादी वाले स्थान तथा राज्य की राजधानियाँ तथा चंडीगढ़, पुदुचेरी और पोर्ट ब्लेयर	₹1900/- प्रतिमाह

(2) 1 नवंबर, 2022 से विशेष क्षेत्र भत्ते की दरें इन विनियमों की अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार होंगी;

बशर्ते कि जहां अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शाए गए किसी स्थान पर, उप-विनियमन (10) के अंतर्गत प्रावधानित पर्वतीय क्षेत्र और ईंधन भत्ता भी देय है तो अधिकारी दोनों भत्तों में से केवल उच्चतर भत्ते के लिए ही पात्र होगा न कि दोनों का:

बशर्ते आगे यह भी कि दोनों भत्तों में से उच्चतर भत्ते की राशि, अधिकारी द्वारा 31 दिसंबर, 1989 को लिए गए विशेष भत्ते तथा पर्वतीय क्षेत्र और ईंधन भत्ते के योग से कम है तो ऐसे अंतर को अधिकारी के उस स्थान पर रहने तक व्यक्तिगत भत्ते के रूप में संरक्षित किया जाएगा।";

(ii) उप विनियम (4), (5), (6) और (7) के स्थान पर निम्नलिखित उप विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(4) 1 अप्रैल 2024 से, यदि किसी अधिकारी को शैक्षणिक वर्ष के मध्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है और यदि पूर्ववर्ती स्थान पर उसके एक या अधिक बच्चे विद्यालय या महाविद्यालय में अध्ययनरत हैं तो उसे दूसरे स्थान पर कार्य ग्रहण करने की तिथि से शैक्षणिक वर्ष के अंत तक अधिकतम दो बच्चों के लिए प्रति बच्चा ₹2500/- प्रतिमाह की दर से मध्य-शैक्षणिक वर्ष स्थानांतरण भत्ता देय होगा:

परंतु यदि सभी बालक पूर्ववर्ती स्थान पर अध्ययन करना बंद कर देते हैं तो इस प्रकार का भत्ता देय नहीं रहेगा।

(5) 1 अप्रैल, 2024 से यदि किसी अधिकारी को बैंक के बाहर सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है तो वह उस पद से जुड़ी परिलब्धियां प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है जिस पर उसे प्रतिनियुक्त किया गया है अथवा वह अपने वेतन के अतिरिक्त, वेतन के 7.75 प्रतिशत की दर से प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त कर सकता है जो अधिकतम ₹7500/- प्रतिमाह तक हो सकता है और इस प्रकार के अन्य भत्ते जो उसे उस स्थान पर बैंक की सेवा में तैनात होने पर मिलते हैं:

बशर्ते कि जहां ऐसे अधिकारी को किसी ऐसे संगठन में जो उसी स्थान पर स्थित है या उस प्रशिक्षण प्रतिष्ठान में जो बैंक के स्वामित्व में नहीं है, जहां वह अपनी प्रतिनियुक्ति के ठीक पहले तैनात था या उस प्रशिक्षण प्रतिष्ठान में जो बैंक के स्वामित्व में नहीं है, प्रतिनियुक्त किया जाता है तो उसे अधिकतम ₹3750/- प्रतिमाह के अधीन अपने वेतन के 4 प्रतिशत के समकक्ष प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा:

बशर्ते कि जहां किसी अधिकारी को उसी नगरपालिका सीमा या शहरी समूह के भीतर किसी अन्य कार्यालय या शाखा में, मेट्रो या प्रमुख ए श्रेणी के शहरों में जहां ऐसी प्रतिनियुक्ति की दूरी मूल शाखा या कार्यालय से 20 किलोमीटर और उससे अधिक है, प्रतिनियुक्त किया जाता है तो वह विनियमन 41 के उप-विनियमन (4) में उल्लिखित विराम भत्ते के लिए पात्र होगा।

(6) 1 अप्रैल, 2024 से, यदि किसी अधिकारी को एक बार में न्यूनतम चार दिवस या एक कैलेंडर माह के दौरान कुल मिलाकर चार दिन की निरंतर अवधि के लिए उच्चतर वेतनमान में किसी पद पर स्थानापन्न होना अपेक्षित है तो उसे अपने मूल वेतन के 15 प्रतिशत के बराबर स्थानापन्न भत्ता मिलेगा जो उस अवधि के लिए आनुपातिक होगा जिसके लिए वह स्थानापन्न है और स्थानापन्न भत्ता केवल भविष्य निधि और पेंशन के प्रयोजनों के लिए वेतन के रूप में माना जाएगा:

बशर्ते कि, जहां कोई अधिकारी केवल विनियमन 6 के अंतर्गत पदों के वर्गीकरण की समीक्षा के परिणामस्वरूप उच्चतर वेतनमान में स्थानापन्न करने आता है तो वह वर्गीकरण की समीक्षा प्रभावी होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए स्थानापन्न भत्ते हेतु पात्र नहीं होगा।

(7) 1 अप्रैल, 2024 से, अधिकारी प्रत्येक लेखाबंदी के लिए प्रति तिमाही ₹1500/- लेखाबंदी भत्ते हेतु पात्र होंगे।";

(iii) उप-विनियम (10), (11), (12) तथा (13) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात:-

"(10) 1 नवंबर 2022 से, अधिकारी नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट पर्वतीय क्षेत्र और ईंधन भत्ते के लिए पात्र होंगे, अर्थात:

तालिका

क्र. सं.	**स्थान**	**दर**
(1)	(2)	(3)
1	1000 मीटर और उससे अधिक परंतु 1500 मीटर से कम की ऊँचाई वाले स्थान ओर मेरकारा टाउन	वेतन का 2% किंतु अधिकतम ₹1450/- प्रतिमाह
2	1500 मीटर और उससे अधिक परंतु 3000 मीटर से कम की ऊँचाई वाले स्थान	वेतन का 2.5% किंतु अधिकतम ₹1900/- प्रतिमाह
3	3000 मीटर और उससे अधिक की ऊँचाई वाले स्थान	वेतन का 5% किंतु अधिकतम ₹3750/- प्रतिमाह

(11) 1 नवंबर, 2022 से अधिकारी ₹850/- के अधिगम भत्ते के साथ-साथ उस पर महंगाई भत्ते के लिए पात्र होंगे।

टिप्पणी : अधिगम भत्ते और उस पर प्रयोज्य महंगाई भत्ते की गणना अधिवर्षिता लाभों यथा परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (एनपीएस), भविष्य निधि (पीएफ) और उपदान सहित पेंशन के लिए नहीं की जाएगी।

(12) अधिकारी जो नगर प्रतिपूरक भत्ते के लिए पात्र क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में तैनात हैं, 01 नवंबर, 2022 से ₹1200/- प्रति माह के नियत स्थान भत्ते हेतु पात्र होंगे, इसकी गणना महंगाई भत्ते, अधिवर्षिता लाभों यथा परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (एनपीएस), भविष्य निधि (पीएफ) और उपदान सहित पेंशन के लिए नहीं की जाएगी।

(13) (क) वित्तीय वर्ष 2023-24 से समस्त अधिकारियों को बैंक के सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार निम्नलिखित चयनित मापदंडों के आधार पर कार्य-निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) देय होगा:

(क) चालू खाता बचत खाता (कासा)

(ख) गैर निष्पादित आस्ति (एनपीए)

(ग) विशेष उल्लिखित खाता (एसएमए)

(घ) गैर-ब्याज आय

(ङ) कुल कारोबार

(च) लाभप्रदता

(छ) आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए) या इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई)

(ज) सरकारी योजनाएं।

(ख) कार्य-निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) राशि अधिकतम 15 दिवस के वेतन (मूल + डीए) में देय होगी जो खंड (क) में उल्लिखित अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मापदंडों पर निर्भर करेगा।".

(9) उक्त विनियमन के विनियमन 24 में, (क) उप-विनियमन (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियमन प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(1) 1 नवंबर, 2022 से नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट अनुसार प्रत्येक अधिकारी स्वयं के प्रमाण-पत्र जिसमें इस बात का उल्लेख होगा कि उसने ऐसा व्यय किया है तथा दावा की गई राशि के लिए लेखा विवरण भी संलग्न होगा, के आधार पर स्वयं और परिवार के लिए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा, अर्थात: -

तालिका

क्र.सं.	**श्रेणी**	**प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा**
(1)	(2)	(3)
1	कनिष्ठ प्रबंधन और मध्य प्रबंधन श्रेणी	**₹**13000/- प्रति वर्ष या व्यय की गई राशि**,** इनमें से जो भी कम हो
2	वरिष्ठ प्रबंधन और उच्च कार्यपालक श्रेणी	**₹**15400/- प्रति वर्ष या व्यय की गई राशि**,** इनमें से जो भी कम हो

टिप्पणी 1:- किसी अधिकारी को अप्रयुक्त चिकित्सा सहायता को संचित करने की अनुमति दी जा सकती है जो किसी भी समय दी जाने वाली उपर्युक्त अधिकतम राशि की तीन गुने से अधिक न हो।

टिप्पणी 2 :- कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए, चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति दो महीने अर्थात नवंबर, 2022 और दिसंबर, 2022 के लिए आनुपातिक रूप से बढ़ाई जाएगी।

(ख) उप-विनियमन (3) के पश्चात निम्नलिखित उप-विनियमन अंतः स्थापित किया जाए, अर्थात:-

"(4) समस्त अधिकारी कार्मिक नेत्र जांच के लिए प्रतिवर्ष ₹500/- की प्रतिपूर्ति के भी पात्र होंगे। "

10. उक्त विनियम के विनियमन 25 में, उप-विनियमन (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियमन प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(2) उप-विनियमन (1) में निहित किसी बात के होते हुए भी बैंक, 1 नवंबर, 2022 से किसी अधिकारी को उसके वेतनमान के प्रथम प्रक्रम में मूल वेतन के 0.35 प्रतिशत के बराबर राशि या आवास के लिए मानक किराया, इनमें से जो भी कम हो, का भुगतान करने पर आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वतंत्र होगा:

बशर्ते कि जहां अधिकारी को ऐसे आवास में फर्नीचर उपलब्ध कराया जाता है, वहां वेतनमान के प्रथम प्रक्रम में मूल वेतन के 0.075 प्रतिशत के बराबर की राशि बैंक द्वारा उससे वसूल की जाएगी:

इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि जहां बैंक द्वारा इस प्रकार की आवास सुविधा उपलब्ध कराई जाती है वहां बिजली, पानी, गैस और सफाई का खर्च अधिकारी द्वारा वहन किए जाएंगे।".

11. उक्त विनियम के विनियमन 31 में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात:-

"परंतु जहां स्वीकृति प्राधिकारी, अधिकारी की छुट्टी देने से इंकार करता है या उसे स्थगित करता है, वहां वह इसके कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगा।".

12. उक्त विनियम के विनियमन 32 में, उप-विनियमन (2) के पश्चात तथा स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित उप-विनियमन अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(3) 1 अप्रैल, 2024 से कोई अधिकारी कर्मचारी, वर्ष में चार अवसरों पर आधे दिन के लिए दो दिन का आकस्मिक अवकाश लेने का पात्र होगा, जिसमें से दो अवसर प्रातःकाल तथा दो अवसर अपराह्न काल होंगे:

बशर्ते कि इस श्रेणी के अंतर्गत आकस्मिक अवकाश, 24 घंटे पूर्व आवेदन करने के पश्चात लिया जाएगा।

आगे यह भी प्रावधान है कि आकस्मिक छुट्टी के शेष को अप्रयुक्त आकस्मिक छुट्टी खाते में ले जाते समय शेष अंश, यदि कोई हो, छोड़ दिया जाएगा।"

13. उक्त विनियमनों के विनियमन 33 में: -

(क) उप-विनियम (4) और (5) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(4) 1 जून, 2015 से अधिकतम दो सौ सत्तर दिन तक साधिकार अवकाश संचित किया जा सकेगा, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां अवकाश के लिए आवेदन किया गया हो और उसे अस्वीकार कर दिया गया हो:

परंतु 1 अप्रैल, 2024 से अधिकतम दो सौ पचपन दिन तक अधिकतम साधिकार अवकाश का नकदीकरण सीमित रहेगा:

इसके अलावा, कोई अधिकारी अपनी पसंद के किसी भी त्यौहार के समय प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए पांच दिन की दर से साधिकार अवकाश के नकदीकरण के लिए भी पात्र होगा और कोई अधिकारी जो पहले ही पचपन वर्ष या उससे अधिक की आयु पूरी कर चुका है, वह अपनी सेवानिवृत्ति तक प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए सात दिन की दर से साधिकार अवकाश के नकदीकरण के लिए पात्र होगा।

(5) कोई अधिकारी जो साधिकार अवकाश का लाभ उठाना चाहता है, छुट्टी किराया रियायत के प्रयोजन के अलावा उसे इस प्रकार की छुट्टी लेने के प्रयोजन से सामान्यतः कम से कम दस दिन पहले सूचना देनी होगी।

बशर्ते कि 1 अप्रैल, 2024 से पंजीकृत ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों और कार्यकारी समिति के सदस्यों के लिए विशेषाधिकार छुट्टी लेने के लिए 10 दिनों की ऐसी कोई अग्रिम सूचना की आवश्यकता नहीं होगी।";

(ख) उप-विनियम (6) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम डाला जाएगा, अर्थात:-

"(7) 1 अप्रैल, 2024 से साधिकार अवकाश की गणना के प्रयोजनों के लिए, आकस्मिक छुट्टी और अनिवार्य छुट्टी को छोड़कर ली गई सभी प्रकार की छुट्टियों को रखा जाएगा।".

14. उक्त विनियमनों के विनियमन 34 में, -

(क) उप-विनियम (1) में, निम्नलिखित परंतुक डाला जाएगा, अर्थात: -

"बशर्ते कि 1 अप्रैल, 2024 से कोई अधिकारी सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए एक माह की दर से रुग्णावकाश के लिए पात्र होगा:

इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि रुग्णावकाश की कुल संख्या (विनियम 35 में उल्लिखित अतिरिक्त रुग्णावकाश सहित) अधिकारी की संपूर्ण सेवा में सात सौ बीस दिन से अधिक नहीं होगी।";

(ख) उप-विनियम (5) के पश्चात निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात: -

"(6) 1 अप्रैल, 2024 से एकल पुरुष अभिभावक कार्मिक अपने 8 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चों की बीमारी के लिए चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करके रुग्णावकाश का लाभ उठा सकता है।

(7) 1 अप्रैल, 2024 से महिला कार्मिक बिना चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए प्रति माह एक दिन की बीमारी अवकाश का लाभ उठा सकती है।

(8) 1 अप्रैल, 2024 से कार्मिक अपने पन्द्रह वर्ष या उससे कम आयु के विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की बीमारी के लिए चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करके एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम दस दिन की अवधि के लिए रुग्णावकाश का लाभ उठा सकते हैं।

(9) 1 अप्रैल, 2024 से अट्ठावन वर्ष या उससे अधिक आयु के कार्मिक, अपने पति/पत्नी के अस्पताल में भर्ती होने पर कार्य स्थल के अलावा किसी अन्य जगह पर एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम तीस दिनों की अवधि के लिए रुग्णावकाश का लाभ उठा सकते हैं।"

15. उक्त विनियमनों के विनियमन 36 के उप विनिमय (1) में,-

(i) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(क) कोई महिला कार्मिक किसी एक अवसर पर अधिकतम छह माह की अवधि के लिए तथा अपनी संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान अधिकतम बारह माह के लिए मूल पद वेतन पर मातृत्व अवकाश के लिए पात्र होगी:

बशर्ते कि जुड़वा बच्चों के जन्म की स्थिति में मातृत्व अवकाश की अवधि आठ माह होगी:

इसके अलावा 1 अप्रैल, 2024 से यह भी प्रावधान है कि एक प्रसव में दो से अधिक बच्चों के जन्म की स्थिति में मातृत्व अवकाश की अवधि बारह माह होगी:

बशर्ते कि मातृत्व अवकाश, आकस्मिक अवकाश को छोड़कर किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ लिया जा सकेगा;

(ii) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात: -

"(घ) कोई महिला कार्मिक अपनी सेवा के दौरान एक वर्ष से कम आयु के बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेने पर एक बार अधिकतम नौ महीने की अवधि के लिए निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन अवकाश ले सकती है, अर्थात: -

(क) केवल एक बच्चे को गोद लेने के लिए अवकाश दिया जाएगा;

(ख) बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया उचित कानूनी माध्यम से होना चाहिए और कार्मिक को ऐसे अवकाश की स्वीकृति के लिए बैंक के समक्ष दत्तक-विलेख प्रस्तुत करना होगा;

(ग) जहां बच्चा सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुआ है, वहां जैविक मां को भी अवकाश उपलब्ध होगा;

(घ) अवकाश का लाभ सेवा की पूरी अवधि के दौरान बारह महीने की समग्र पात्रता के भीतर लिया जाएगा।";

(iii) खंड (ङ) के बाद, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात -

"(च) 1 अप्रैल, 2024 से, बारह महीने की समग्र सीमा के भीतर चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत कृत्रिम परिवेशीय गर्भाधान (इन विट्रो प्रजनन, आईवीएफ) उपचार के लिए मातृत्व अवकाश का लाभ उठाया जा सकता है।

(छ) 1 अप्रैल, 2024 से, शिशु के जन्म के अट्ठाइस दिन के भीतर शिशु की मृत्यु की स्थिति में महिला कार्मिक द्वारा साठ दिन तक विशेष मातृत्व अवकाश का लाभ उठाया जा सकेगा।"

16. उक्त विनियमनों के विनियमन 37(क)के स्थान पर निम्नलिखित विनियमन प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात:-

"37(क) विशेष आकस्मिक अवकाश और विशेष अवकाश– (1) 1 नवंबर, 2020 से, कोई कार्मिक ऐसे अवसरों पर विशेष आकस्मिक अवकाश के लिए पात्र होगा, जब वह शाखा जहां अधिकारी कार्यरत है या वह स्थान जहां वह निवास कर रहा है, कर्फ्यू, दंगे, निषेधाज्ञा, प्राकृतिक आपदा, बाढ़ आदि से प्रभावित हो।

(2) 1 नवंबर, 2020 से शारीरिक या अस्थि दिव्यांगता वाले कार्मिक, चार दिन के विशेष आकस्मिक अवकाश के लिए पात्र होंगे।

(3) 1 अप्रैल, 2024 से अखिल भारतीय अधिकारी संघों या एसोसिएशनों के प्रधान पदाधिकारियों को एक कैलेंडर वर्ष में पच्चीस दिन तक का विशेष अवकाश प्रदान किया जाएगा।

(4) 1 अप्रैल, 2024 से विभागीय जांच में बचाव प्रतिनिधि अधिकारी, किसी कार्मिक का बचाव प्रस्तुतीकरण तैयार करने के प्रयोजनार्थ एक दिन का विशेष अवकाश ले सकेंगे:

बशर्ते कि ऐसा विशेष अवकाश एक वर्ष में अधिकतम दस अवसरों के लिए लिया जा सकेगा।

(5) किसी अधिकारी को विशेष आकस्मिक अवकाश तथा अन्य विशेष अवकाश भी प्रदान किया जा सकेगा, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए।"

17. उक्त विनियमनों के विनियमन 37क के पश्चात निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"37ख. शोक अवकाश - किसी अधिकारी कार्मिक को उसके परिवार के सदस्यों (पति/पत्नी, बच्चे, माता-पिता और सास-ससुर) की मृत्यु पर बोर्ड द्वारा समय-समय पर तय किए गए दिनों की संख्या के अनुसार शोक अवकाश प्रदान किया जाएगा:

बशर्ते कि बीच की छुट्टियां शोक अवकाश का हिस्सा होंगी:

इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि उक्त अवकाश का लाभ, मृत्यु के अधिकतम पंद्रह दिनों के भीतर लिया जाना चाहिए।

बशर्ते कि उक्त छुट्टी को साधिकार अवकाश की गणना के प्रयोजन के लिए "सक्रिय सेवा" नहीं माना जाएगा।".

18. उक्त विनियमनों के विनियमन 41 में, -

(क) उप विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात: -

"(1) 1 अप्रैल, 2024 से, जहाँ भी किसी अधिकारी को कार्यालयीन कार्य हेतु यात्रा करने की आवश्यकता होती है, वहाँ निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे, अर्थात:

(क) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी का कोई अधिकारी राजधानी या शताब्दी या तेजस या वंदे भारत या अमृत भारत आदि जैसी प्रीमियम ट्रेनों सहित किसी भी ट्रेन (लक्जरी ट्रेनों को छोड़कर) में एसी प्रथम श्रेणी में यात्रा करने का पात्र होगा:

हालांकि, व्यवसाय या सार्वजनिक हित की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति दिए जाने पर बशर्ते ऐसा अधिकारी हवाई जहाज (इकोनॉमी क्लास) से यात्रा कर सकता है;

(ख) मध्य प्रबंधन श्रेणी का कोई अधिकारी खण्ड (क) में उल्लिखित प्रीमियम ट्रेनों सहित किसी भी ट्रेन द्वारा एसी प्रथम श्रेणी में यात्रा करने का पात्र होगा:

बशर्ते कि यदि यात्रा की जाने वाली दूरी 500 किलोमीटर से अधिक है तो वह हवाई जहाज (इकोनॉमी क्लास) से यात्रा कर सकता है:

इसके अलावा, यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यवसाय या सार्वजनिक हित की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनुमति दी जाती है तो वह कम दूरी के लिए भी हवाई जहाज (इकोनॉमी क्लास) से यात्रा कर सकता है;

(ग) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी या शीर्ष कार्यपालक श्रेणी का कोई अधिकारी प्रीमियम ट्रेनों (जैसा कि खण्ड (ए) में उल्लिखित है) सहित किसी भी ट्रेन द्वारा एसी प्रथम श्रेणी में या हवाई जहाज (इकोनॉमी क्लास) से यात्रा करने का पात्र है;

(घ) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी या शीर्ष कार्यपालक श्रेणी का कोई अधिकारी हवाई या रेल से न जुड़े स्थानों के बीच कार से यात्रा कर सकता है, बशर्ते कि दूरी 500 किलोमीटर से अधिक न हो:

बशर्ते कि जब दो स्थानों के बीच की दूरी का एक बड़ा हिस्सा हवाई जहाज या रेल द्वारा तय किया जा सकता है, तो केवल शेष दूरी को सामान्य रूप से कार द्वारा तय किया जाना चाहिए;

(ङ) किसी अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा, व्यवसाय की अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए, अपने स्वयं के वाहन या टैक्सी या बैंक के वाहन से यात्रा करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है;

(च) किसी भी ग्रेड या स्केल का कोई अधिकारी सड़क या हवाई या रेल से न जुड़े स्थानों के बीच डीलक्स केबिन श्रेणी में जल परिवहन द्वारा यात्रा करने के लिए पात्र होगा;

(छ) किसी अधिकारी प्रीमियम ट्रेनों (लक्जरी ट्रेनों को छोड़कर) द्वारा किराए के लिए पात्र होगा।

टिप्पणी 1: रेल किराये पर लगाया जाने वाला वस्तु एवं सेवा कर, पात्रता से अतिरिक्त होगा।

टिप्पणी 2: प्रचलित गतिशील किराया प्रणाली के मद्देनजर, बुकिंग की तारीख पर व्यय की गई ट्रेन टिकटों की लागत की प्रतिपूर्ति की जाएगी।";

(ख) उप-विनियम (2) के लिए, खंड (ii) के बाद, निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात:-

स्पष्टीकरण– इस खंड के प्रयोजनों के लिए, 1 फरवरी, 2023 से प्रति किलोमीटर की दर निम्नानुसार होगी:

क्र. सं.	**वाहनों के प्रकार**	**प्रति किमी प्रतिपूर्ति की दर.**
1	चार पहिया वाहन -1000 सीसी या उससे अधिक की इंजन क्षमता	₹11.00/-
2	चार पहिया वाहन - 1000 सीसी से कम की इंजन क्षमता	₹9.00/-
3	मोटर साइकिल और स्कूटर	₹6.00/-
4	मोपेड	₹4.00/-

(ग) उप-विनियम (4) में, खंड (क) और (ख) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात: -

4(क) 1 फरवरी, 2023 से प्रति किलोमीटर की दर निम्नानुसार होगी: 1 अप्रैल, 2024 से, तालिका के कॉलम (2) में दिए गए ग्रेड या स्केल में कोई अधिकारी कॉलम (3) में दी गई संगत दरों पर प्रतिदिन विराम भत्ते का हकदार होगा, अर्थात: -

तालिका

क्र. सं.	**अधिकारियों के ग्रेड या स्केल**	**विराम भत्ता**			
(1)	**(2)**	**(3)**			
		महानगरीय ₹	**प्रमुख 'ए' श्रेणी के शहर ₹**	**क्षेत्र-I ₹**	अन्य स्थानों पर ₹
1	स्केल VI तथा उससे ऊपर के अधिकारी	4050	2925	2475	2150
2	स्केल IV तथा V के अधिकारी	3375	2925	2475	2150
3	स्केल I, II तथा III के अधिकारी	2925	2475	2150	1800

बशर्ते कि जहां अनुपस्थिति की कुल अवधि आठ घंटे से कम किंतु चार घंटे से अधिक हो, वहां उपर्युक्त दरों की आधी दर पर विराम भत्ता देय होगा।

स्पष्टीकरण- विराम भत्ते की गणना करने के प्रयोजन के लिए "प्रतिदिन" का अर्थ चौबीस घंटे की प्रत्येक अवधि या उसका कोई पश्चातवर्ती भाग होगा, जिसकी गणना हवाई यात्रा के मामले में प्रस्थान के लिए रिपोर्टिंग समय से और अन्य मामलों में प्रस्थान के निर्धारित समय से लेकर आगमन के वास्तविक समय तक की जाएगी और जहां अनुपस्थिति की कुल अवधि चौबीस घंटे से कम है, वहां "प्रतिदिन" का अर्थ आठ घंटे से अन्यून की अवधि होगी।

4(ख) नीचे दी गई तालिका के कॉलम (1) में दिए गए ग्रेड या स्केल के अधिकारी को कॉलम (2) में दिए गए संबंधित स्टार श्रेणी के भारत पर्यटन विकास निगम होटलों में एकल कमरे के आवास शुल्क तक सीमित वास्तविक होटल व्यय की प्रतिपूर्ति की जा सकती है, जैसा कि निम्नानुसार है:

अधिकारियों के ग्रेड या स्केल	**ठहरने की पात्रता**
(1)	**(2)**
स्केल VI और उससे ऊपर	4 स्टार होटल
स्केल IV और V	3 स्टार होटल

अधिकारियों के ग्रेड या स्केल	ठहरने की पात्रता
(1)	(2)
स्केल II और III	2 स्टार होटल (गैर एसी)
स्केल I	1 स्टार होटल (गैर एसी)

बोर्ड, सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार ऊपर निर्दिष्ट सीमाओं से अतिरिक्त सीमा की प्रतिपूर्ति निर्धारित कर सकता है।

19. उक्त विनियमनों के विनियमन 42 में, -

(क) उप-विनियम (2) में, खंड (i) में, निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा, अर्थात: -

बशर्ते कि 01 फरवरी, 2023 से, स्थानांतरण पर एक अधिकारी को अपने व्यक्तिगत सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए उसके व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी, यह देखते हुए कि शिपमेंट केवल लॉरी के माध्यम से हो रहा है, निम्नलिखित सीमाओं तक:

वेतन सीमा (₹)	परिवार सहित अधिकारी	परिवार रहित अधिकारी
48480 – 64820	3000 किलोग्राम या 3 टन	1500 किलोग्राम या 1.5 टन
64821 और उससे अधिक	12000 किलोग्राम या 12 टन	2500 किलोग्राम या 2.5 टन

बोर्ड द्वारा अनुमोदित दरें निम्नानुसार हैं:-

दूरी किलोमीटर में	दर ₹ प्रति टन प्रति किलोमीटर
1000 किलोमीटर तक	₹5.90
1000 किलोमीटर से अधिक	₹4.25

टिप्पणी 1: उपरोक्त दरें स्लैब के आधार पर लागू होंगी, यानी पहले 1000 किलोमीटर के लिए लागू दर ₹5.90 प्रति किलोमीटर होगी और उसके बाद यह ₹4.25 प्रति किलोमीटर होगी।

टिप्पणी 2: 300 किलोमीटर तक की कम दूरी तक स्थानांतरित होने वाले अधिकारियों के मामले में, 300 किलोमीटर तक प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जा सकती है।

टिप्पणी 3: पहाड़ी इलाकों से स्थानांतरित होने वाले अधिकारियों के मामले में, उन्हें पहाड़ी इलाकों में तय की गई दूरी के लिए लागू दर के दो गुना और शेष दूरी के लिए सामान्य दर पर प्रतिपूर्ति की जाएगी।";

(ख) उप-विनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात -

"(3) 1 अप्रैल, 2024 से, स्थानांतरित होने वाला अधिकारी पैकिंग, स्थानीय परिवहन, सामान का बीमा आदि से संबंधित व्ययों के लिए एकमुश्त राशि प्राप्त करने के लिए पात्र होगा, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट है, अर्थात्:

तालिका

क्र. सं.	श्रेणी या स्केल	राशि
(1)	(2)	(3)
1.	शीर्ष कार्यपालक और वरिष्ठ प्रबंधन (स्केल IV और उससे ऊपर के अधिकारी)	₹50,000/-
2.	मध्य प्रबंधन और कनिष्ठ प्रबंधन (स्केल III तक के अधिकारी)	₹40,000/-";

(ग) उप-विनियम (4) में परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात: -

"बशर्ते कि 1 अप्रैल, 2024 से, जहां बैंक द्वारा किसी अधिकारी को नई प्रतिनियुक्ति के स्थान पर कोई आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है और जहां ऐसा अधिकारी कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया में, अपने नियंत्रण से परे कारणों से अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ता है तो सक्षम प्राधिकारी, ऐसे अधिकारी के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से गुण-दोष के

आधार पर, पंद्रह दिनों की अवधि के लिए या जब तक क्वार्टर उपलब्ध नहीं हो जाता है, इनमें से जो भी पहले हो, आवास एवं भोजन व्यय या ठहराव भत्ता देने पर विचार कर सकता है।".

20. उक्त विनियमनों के विनियमन 44 के स्थान पर निम्नलिखित विनियमन प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"44 (1) चार वर्ष के प्रत्येक ब्लॉक के दौरान, कोई अधिकारी दो वर्ष के प्रत्येक ब्लॉक में एक बार अपने निवास स्थान की यात्रा के लिए अवकाश यात्रा रियायत के लिए पात्र होगा:

बशर्ते, वह दो वर्ष के एक ब्लॉक में अपने निवास स्थान की यात्रा कर सके तथा दो वर्ष के दूसरे ब्लॉक में भारत में किसी भी स्थान की यात्रा सबसे छोटे मार्ग से कर सके।

(2) 1 अप्रैल, 2024 से, वैकल्पिक रूप से, कोई अधिकारी चार वर्ष के ब्लॉक या दो वर्ष के ब्लॉक के दौरान, जैसा भी मामला हो, किसी भी समय विकल्प का प्रयोग करके अपनी अवकाश यात्रा रियायत (निवास स्थान की यात्रा के अलावा) को सरेंडर तथा नगदीकरण करवा सकेगा, जिस पर वह कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड, स्केल I, मध्य प्रबंधन ग्रेड, स्केल II तथा मध्य प्रबंधन स्केल III के अधिकारियों के लिए 5,500 किलोमीटर (एकतरफा) की दूरी तक जिस श्रेणी की यात्रा के लिए वह पात्र है, उस श्रेणी की ट्रेन यात्रा के लिए पात्र किराए के बराबर राशि प्राप्त करने का पात्र होगा। तो वही वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड, स्केल IV और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए 6,500 किलोमीटर (एकतरफा) के पात्र होंगे:

बशर्ते कि कोई अधिकारी अपनी छुट्टी यात्रा रियायत के नकदीकरण का विकल्प चुनता है तो वह उस ब्लॉक के दौरान केवल एक बार अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए दावा करेगा जिसमें ऐसे नकदीकरण का लाभ उठाया जाता है और छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाते समय साधिकार छुट्टी के नकदीकरण की सुविधा भी छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा के समय उपलब्ध है।

(3) छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ अधिकारी उसी श्रेणी और प्रकार से उठा सकता है जिस तहत अधिकारी स्थानांतरण पर यात्रा करने का सामान्यतः हकदार होता है तथा अन्य नियम और शर्तें जिनके अधीन छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ अधिकारी उठा सकता है, वे समय-समय पर बोर्ड द्वारा तय की जाएगी:

बशर्ते कि 1 अप्रैल, 2024 से, कनिष्ठ प्रबंधन स्केल I में एक अधिकारी, छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाते समय, सबसे कम किराए वाली इकोनॉमी क्लास में हवाई यात्रा करने का पात्र होगा, जिस स्थिति में प्रतिपूर्ति वास्तविक किराया या यात्रा की गई दूरी के लिए ट्रेन द्वारा एसी प्रथम श्रेणी के किराए के लिए लागू किराया, जो भी कम हो, होगी और वही नियम तब लागू होंगे जब मध्य प्रबंधन ग्रेड स्केल II और मध्य प्रबंधन ग्रेड स्केल III में एक अधिकारी छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाता है, जहां दूरी 500 किलोमीटर से कम है।

(4) प्रत्येक चार वर्ष में एक बार, जब कोई अधिकारी छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाता है तो उसे एक बार में अधिकतम तीस दिन की अपनी साधिकार अवकाश के नगदीकरण की अनुमति दी जा सकती है अथवा वह दो वर्ष के एक ब्लॉक में अपने गृह नगर तथा दूसरे ब्लॉक में भारत में किसी स्थान की यात्रा करते समय प्रत्येक ब्लॉक में अधिकतम पंद्रह दिन या एक ब्लॉक में तीस दिन की साधिकार अवकाश के नगदीकरण की अनुमति दे सकता है तथा छुट्टी के नगदीकरण के प्रयोजन के लिए उस माह के लिए देय सभी परिलब्धियां, जिसके दौरान छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाया गया है, स्वीकार्य होंगी:

बशर्ते कि कोई अधिकारी, स्वैच्छिक रूप से, प्रधानमंत्री राहत कोष में दान के लिए एक दिन का अतिरिक्त साधिकार अवकाश के नगदीकरण की अनुमति से संबंधित आशय का पत्र दे तथा बैंक को उक्त कोश में राशि भेजने के लिए अधिकृत करें।

(5) जहां पति और पत्नी दोनों एक ही बैंक में कार्यरत हों, वहां अवकाश यात्रा रियायत का लाभ स्वतंत्र रूप से उठाया जा सकता है।

(6)पूर्वोत्तर राज्यों में कार्यरत कार्मिकों के लिए अवकाश यात्रा रियायत गुवाहाटी से शुरू होगी तथा उनके कार्यस्थल से गुवाहाटी तक का पात्र रेल किराया अतिरिक्त रूप से भुगतान किया जाएगा।

(7) अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से चेन्नई या कोलकाता, लक्षद्वीप से कोच्चि, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर में दूर-दराज के क्षेत्रों की शाखाओं या किसी अन्य क्षेत्र जो सीधे रेलगाड़ी से जुड़ा नहीं है, इन क्षेत्रों में कार्यरत कार्मिक के लिए निकटतम प्रमुख रेलवे स्टेशन तक सामान्य पात्रता के अलावा अवकाश यात्रा रियायत के तहत अतिरिक्त प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(8) यात्रा पर मानक दिव्यांगता वाले अधिकारी के साथ जाने वाले अनुरक्षक को छुट्टी यात्रा रियायत सुविधा निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जाएगी, अर्थात्:-

(क) प्रत्येक अवसर पर सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) अधिकारी की शारीरिक अक्षमता की प्रकृति ऐसी हो कि यात्रा के लिए अनुरक्षक की आवश्यकता हो और संदेह की स्थिति में विभागाध्यक्ष या नियंत्रक का निर्णय अंतिम होगा;

(ग) ऐसे मानक दिव्यांगता वाले अधिकारी के पास उसके साथ जाने के लिए कोई वयस्क पारिवारिक सदस्य नहीं है;

(घ) ऐसे मानक दिव्यांगता वाले अधिकारी और अनुरक्षक को रेल या बस किराये में रियायत, यदि कोई हो, का लाभ उठाना होगा, जो ऐसे मामलों में रेलवे या राज्य सड़क परिवहन प्राधिकरण द्वारा दी जा सकती है; और

(ङ) कोई भी अन्य व्यक्ति जो आश्रित के रूप में अवकाश यात्रा रियायत का पात्र है, यात्रा पर ऐसे मानक दिव्यांगता वाले अधिकारी के साथ नहीं जाता है।

(9) जहां किसी अधिकारी ने अवकाश यात्रा रियायत या अग्रिम छुट्टी के लिए आवेदन किया है और टिकट भी बुक किया है और प्रबंधन द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत अस्वीकार कर दी गई है या स्थगित कर दी गई है तो रद्दीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति बैंक द्वारा की जाएगी।

(10) जहां किसी अधिकारी ने निर्धारित समय के अनुसार अवकाश यात्रा रियायत या छुट्टी के लिए आवेदन किया है और उसे मंजूरी मिल गई है और जब ट्रेन टिकटों की अग्रिम बुकिंग संभव नहीं है तो तत्काल या प्रीमियम तत्काल के तहत खरीदे गए टिकटों की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

21. उक्त विनियमों की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रस्थापित की जाएगी, अर्थात-

"अनुसूची"

[विनियमन 23 का उप-विनियम (2) देखें]

1 नवंबर, 2022 से लेकर तब तक कोई भी अधिकारी विशेष क्षेत्र भत्ते के लिए पात्र होगा जब तक कि उसे नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट अनुसार पूर्णतः या आंशिक रूप से वापस नहीं ले लिया जाता या संशोधित नहीं कर लिया जाता, अर्थात: -

तालिका

विशेष क्षेत्र भत्ता

क्र. सं.	ऐसा स्थान जहां भत्ता देय होगा	भत्ते (₹ में)	
		₹48,481/- से कम वेतन के लिए	₹48,481/- से अधिक वेतन के लिए
(1)	(2)	(3)	(4)
1	**मिजोरम**		
	(क) चिंपतुइपुई जिला और लुंगलेई जिले के लुंगलेई शहर से **25** किमी से अधिक दूर के क्षेत्र।	4100	5300
	(ख) लुंगलेई शहर से 25 किलोमीटर से बाहर के क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण लुंगलेई जिला	4100	5300
	(ग) संपूर्ण आइजोल जिला	2700	3400

2	**नागालैंड**	4100	5300
3	**अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह**		
	(क) उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, छोटा अंडमान, निकोबार और नारकोंडम द्वीप समूह	4100	5300
	(ख) पोर्ट ब्लेयर सहित दक्षिण अंडमान	4100	5300
4	**सिक्किम**	4100	5300
5	**लक्षद्वीप द्वीप समूह**	4100	5300
6	**असम**	1000	1200
7	**मेघालय**	1000	1200
8	**त्रिपुरा**		
	(क) त्रिपुरा के दुर्गम क्षेत्र	4100	5300
	(ख) दुर्गम क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण त्रिपुरा में	2700	3400
9	**मणिपुर**	2700	3400
10	**अरुणाचल प्रदेश**		
	(क) अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र	4100	5300
	(ख) दुर्गम क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश में	4100	5300
11	**क.– केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर**		
	(1) **कठुआ जिला:** नियाबत बानी, लोही, मल्हार और मछोड़ी	4100	5300
	(2) **उधमपुर जिला:**		
	(क) डुडू बसंतगढ़, लैंडर भामाग इलाक़ा, ठाकराकोट और नागोटे	4100	5300
	(ख) माहौर तहसील के सभी क्षेत्र, नीचे (ग) में शामिल क्षेत्रों के अलावा	4100	5300
	(ग) कंबन की ओर से गोयल तक का क्षेत्र और मोहरे तहसील में कियासी की ओर से अर्नास तक का क्षेत्र	4100	5300
	(3) **डोडा जिला:** कश्मीर तहसील में पैडर और नियाबत नौगाम के इलाके	4100	5300
	(4) **बारामुला जिला:**		
	(क) संपूर्ण गुरेज़-निराबत, टंगडार उपखंड और केरन इलाका	4100	5300
	(ख) मछिल	4100	5300
	5) **पुंछ और राजौरी जिले:** पुंछ और राजौरी और सुंदरबनी शहरों और दोनों जिलों के अन्य शहरी क्षेत्रों को छोड़कर पुंछ और राजौरी जिले के क्षेत्र	2700	3400
	6) वे क्षेत्र जो उपरोक्त (1) से (5) में सम्मिलित नहीं हैं, किंतु जो वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलओसी) से 8 किमी की दूरी के भीतर हैं या ऐसे स्थान हैं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अपने कार्मिकों के लिए सीमा भत्ते के लिए अर्हक घोषित किया जा सकता है।	2700	3400

B.	**केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख:** **लेह जिला:** नोयामा और नोब्रे ज़ांस्कर जिले के सभी अन्य स्थान	4100	5300
12	**हिमाचल प्रदेश**		
	(1) चम्बा जिला		
	(क) पांगी तहसील,भरमौर तहसील में निम्नलिखित पंचायतें और गाँव: पंचायतें: बड़गांव, बजोल, देवल कुगती, नयागाम और टुंडा गांव: ग्राम पंचायत जगत के घाटू, ग्राम पंचायत चौहाटा के कनारसी	4100	5300
	(ख) भरमौर तहसील, उपरोक्त (क) में शामिल पंचायतों और गांवों को छोड़कर	4100	5300
	(क) भरतियात तहसील में झंडरू पंचायत, चुराह तहसील, डलहौजी टाउन (बनीखेत प्रॉपर सहित)	2700	3400
	(2) किन्नौर जिला		
	(क) आसरंग, चितकुल और हांगो कुनो या चारंग पंचायतें, 15/20 क्षेत्र जिसमें छोटा खंबा, नाथपा और रूपी ग्राम पंचायतें शामिल हैं, पूह उपमंडल, ऊपर निर्दिष्ट पंचायत क्षेत्रों को छोड़कर	4100	5300
	ख) उपरोक्त (क) में शामिल क्षेत्रों के अलावा सम्पूर्ण जिला	4100	5300
	(3) कुल्लू जिला		
	(क) निरमंड तहसील का 15/20 क्षेत्र, जिसमें खरगा, कुशवार और सरगा ग्राम पंचायतें शामिल हैं	4100	5300
	(ख) बाहरी सराज (निरमंड तहसील में जकात-खाना और बुरो के गांवों को छोड़कर) और संपूर्ण जिला बाहरी सराज क्षेत्र और पंद्राबीस के परगना को छोड़कर, लेकिन निरमंड तहसील के जगत-खाना और बुराओ गांवों सहित	2700	3400
	(4) लाहौल और स्पीति जिला: लाहौल और स्पीति का सम्पूर्ण क्षेत्र	4100	5300
	(5) शिमला जिला		
	(क) रामपुर तहसील का 15/20 क्षेत्र जिसमें कूट, लबाना-सदाना, सरपारा और चंडी-ब्रांडा पंचायतें शामिल हैं	4100	5300
	(ख) डोडरा-कावर तहसील, रामपुर, काशापथ तहसील और मुनीश में दरकाली की ग्राम पंचायत, परगना सराहन की घोरी चैबीस	4100	5300
	(ग) **चौपाल तहसील** (i) घोरी, पंजगांव, पाटसनौ, नौबीस और तीन कोटी सराहन परगना के; (ii) तकलेश क्षेत्र की देवठी ग्राम पंचायत;	2700	3400

	(iii) परगना बरबिस; तथा (iv) रामपुर तहसील के परगना रामपुर के कस्बा रामपुर और घोरी नोग; (v) शिमला शहर और उसके उपनगर (ढल्ली, जुतोग, कसुंपटी, मशोबरा, तारादेवी और टोटू)		
	(6) कांगड़ा जिला:		
	(क) बड़ा भंगाल और छोटा भंगाल के क्षेत्र	4100	5300
	(I) कांगड़ा जिले का धर्मशाला शहर और नगरपालिका सीमा के बाहर स्थित लेकिन धर्मशाला शहर में शामिल निम्नलिखित कार्यालय: क) महिला आईटीआई, दारी, ख) यांत्रिक कार्यशाला,रामनगर, ग) बाल कल्याण एवं नगर एवं ग्राम नियोजन कार्यालय, सकोह, घ) लोअर सकोह में सीआरएसएफ कार्यालय, ङ) कांगड़ा दूध आपूर्ति योजना, डुगियार, च) एचआरटीसी कार्यशाला, सधेर, छ) क्षेत्रीय मलेरिया कार्यालय, दारी, ज) वन निगम कार्यालय, शामनगर, झ) चाय फैक्ट्री, दारी, ञ) आई.पी.एच. उपमंडल, दारी, ट) निपटान कार्यालय, शामनगर, ठ) बिनवा परियोजना, शामनगर, (II)पालमपुर शहर जिसमें पालमपुर स्थित एचपीकेवीवी परिसर और इसकी नगरपालिका सीमा के बाहर स्थित लेकिन पालमपुर शहर में निम्नलिखित कार्यालय शामिल हैं - क) एच.पी. कृषि विश्वविद्यालय परिसर, ख) मवेशी विकास कार्यालय या जर्सी फार्म, बनुरी, ग) रेशम उत्पादन कार्यालय या इंडो-जर्मन कृषि कार्यशाला या एचपीपीडब्ल्यूडी डिवीजन, बुंडला, घ) विद्युत उप-मंडल, लोहना, ङ) डी.पी.ओ. कॉर्पोरेशन, बुंडला, च) इलेक्ट्रिकल एचपीएसई डिवीजन, घुग्गर	2700	3400
	(7) **मंडी जिला:** जोगिंदरनगर तहसील की छुहार घाटी, थुनाग तहसील में पंचायतें: बागरा, छतरी, छोटधार, गरागुशैन, गटू, गरयास, जंजैहली, जरयार, जोहार कल्हणी, कलवन, खोलानाल, लोथ, सिलिबगी, सोमाचन, थाचधार, ताची, थाना, धर्मपुर ब्लॉक की निम्नलिखित पंचायतें:	2700	3400

	बिंगा, कमलाह, सकलाना, तान्यार और तारखोलाह, करसोग तहसील की पंचायतें- बालीधार, बागरा, गोपालपुर, खजोल, महोग, मेहुड़ी, मंज, पेखी, सैंज, सराहन और तेबन, सुंदरनगर तहसील की पंचायतें- बोही, बटवारा, धन्यारा, पौरा-कोठी, सेरी और शोजा		
	(8) **सिरमौर जिला:** क) निम्नलिखित पंचायतें i) बानी, बखाली (पछाड़ तहसील), ii) भरोग भनेरी (पाँवटा तहसील), iii) बिड़ला (नाहन तहसील), iv) डिब्बर (पछाड़ तहसील) और v) थाना कसोगा (नाहन तहसील) ख) थांसगिरी पथ	2700	3400
	(9) **सोलन जिला:** मांगल पंचायत।	2700	3400
	(10) हिमाचल प्रदेश के शेष क्षेत्र जो उपरोक्त (1) से (9) में शामिल नहीं हैं	1000	1200
13	**उत्तराखंड:** चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र रुद्रप्रयाग एवं चम्पावत जिले	4100	5300
14	**पश्चिम बंगाल: दक्षिण 24 परगना जिला** सुंदरबन क्षेत्र (डैम्पियर हॉज की रेखा के दक्षिण में), अर्थात् भगतुश खली (रामपुरा), कुमिरमारी (बगना), झिंगा खली, सजनाखली, गोसाबा, अमलामाथी (बिद्या), कैनिंग, कुलतली, पियाली, नलगराहा, रैदिघी, भांची, पत्थर प्रतिमा, भागबतपुर, सप्तमुखी, नामखाना, सीकरपुर, काकद्वीप, सागर, मौसिनी, कालीनगर, हरोआ, हिंगलगंज, बसंती, कुएमारी, कुलटोला, घुसीघटा (कुल्टी)	1000	1200

राजेश चंदन पांडेय, महाप्रबंधक (मानव संसाधन विकास विभाग)

[विज्ञापन-III/4/असा./126/2025-26]

टिप्पणी: पंजाब एण्ड सिंध बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1982 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था और बाद में निम्नलिखित अधिसूचनाओं के माध्यम से विनियमों में संशोधन किया गया था:-

क्र.सं.	**अधिसूचना संख्या**	**दिनांक**	**प्रकाशन तिथि**
1.	No.PSB/STAFF/OSR/1990	18.04.1990	
2.	No.PSB/STAFF/OSR/1991	03.05.1991	08.05.1991
3.	No. PSB/STAFF/OSR/1992	19.05.1992	21.05.1992
4.	No. PSB/STAFF/OSR/1995	15.02.1995	21.02.1995
5.	No.PSB/STAFF/OSR/1996	08.10.1996	09.10.1996
6.	No.PSB/STAFF/OSR/1997	13.01.1997	27.01.1997

7.	No.PSB/STAFF/OSR/1999	23.06.1999	24.07.1999
8.	No.PSB/STAFF/OSR/2000	28.06.2000	07.07.2000
9.	No.PSB/STAFF/OSR/2000	20.07.2000	12.08.2000
10.	No.PSB/STAFF/OSR/2002	28.10.2002	06.11.2002
11.	No.PSB/STAFF/OSR/2003	13.06.2003	28.06.2003
12.	No.PSB/STAFF/OSR/2006	7.10.2006	20.10.2006
13.	No.PSB/STAFF/OSR/2017	11.10.2017	21.12.2017
14.	No.PSB/STAFF/OSR/2017-A	11.10.2017	21.12.2017
15.	No.PSB/STAFF/OSR/2018	12.03.2018	05.09.2018
16.	No.PSB/STAFF/OSR/2021	02.12.2021	24.12.2021
17	No.PSB/HRD/OSR/202425/01	26.11.2024	26.11.2024

विवरणात्मक ज्ञापन

ये विनियम जो पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किए गए हैं, वे भारतीय बैंक संघ द्वारा सदस्य बैंकों की ओर से इस संबंध में संबंधित बैंकों द्वारा दिए गए विशिष्ट अधिदेश और बैंकों के शीर्ष स्तरीय अधिकारी संघों के बीच हस्ताक्षरित संयुक्त नोटों की सहमत शर्तों के अनुसार हैं। इसलिए, ऐसे पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी भी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

PUNJAB AND SIND BANK

(Human Resources Development Department)

(Corporate Office, New Delhi)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 2025

F. No. PSB/HRD/OSR/2025-26/1.—In exercise of the powers conferred by section 19 read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980), the Board of Directors of the Punjab & Sind Bank, after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, except as respects things done or omitted to be done in pursuance of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services letter number 4/2/1/2022-IR, dated the 13th March, 2024, on and from the 1st November, 2022 till the date of publication of this notification in the Official Gazette, hereby makes the following regulations further to amend the Punjab & Sind Bank (Officers') Service Regulations, 1982, namely:–

1. (1) These regulations may be called the Punjab & Sind Bank (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Punjab & Sind Bank (Officers') Service Regulations, 1982 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 3,–

(i) for clause (g), the following clause shall be substituted, namely:–

"(g) "family", in relation to an officer for the purposes of medical facilities and for the purpose of leave fare concession, means–

(i) the spouse of the officer;

(ii) wholly dependent unmarried children (including step children and legally adopted children);

(iii) wholly dependent physically or mentally challenged brothers or sisters with forty per cent. or more disability;

(iv) widowed daughters and dependent divorced or separated daughters;

(v) sisters including unmarried or divorced or abandoned or separated from husband or widowed sisters; and

(vi) parents wholly dependent on the officer:

Provided that in the case of physically or mentally challenged children, irrespective of age, they shall be construed as dependents even after their marriage subject to however fulfilling the income criteria for dependent.

Explanation.1.– The expression "wholly dependent family member" shall mean such member of the family having a monthly income not exceeding Rs. 18,000/- and if the monthly income of one of the parents exceeds Rs. 18,000/- or the aggregate of monthly income of both the parents exceeds Rs. 18,000/-, both the parents shall not be considered as wholly dependent on the officer.

Explanation.2.– For the purposes of medical expenses reimbursement scheme and Leave Fare Concession, for all officers, that is, male or female, any two of the dependent father, mother, father-in-law, mother-in-law shall be covered and the officer shall have the choice to substitute either of the dependents, or both, once in a calendar year.

Explanation.3.– This definition shall be effective from the 1st day of April, 2024 and for the calendar year 2024, for the purpose of medical insurance scheme, the revised monthly income criteria of dependents shall be effective from the 1st day of November, 2024.

3. In regulation 4 of the said regulations,–

(a) the *Explanation* to sub-regulation (7) shall be omitted;

(b) for sub-regulations (8) and (9), the following sub-regulations shall be substituted, namely:–

"(8) On and from the 1st November, 2022, the scales of pay specified against each grade shall be as under:

(a) Top Executive Grade

Scale VII = Rs. 156500 – 4340/4 – 173860

Scale VI = Rs. 140500 - 4000/4 – 156500

(b) Senior Management Grade

Scale V = Rs. 120940 – 3360/2 – 127660 – 3680/2 - 135020

Scale IV = Rs. 102300 – 2980/4 – 114220– 3360/2 – 120940

(c) Middle Management Grade

Scale III = Rs. 85920-2680/5– 99320 - 2980/2 - 105280

Scale II = Rs. 64820–2340/1 - 67160 -2680/10 - 93960

(d) Junior Management Grade

Scale I = Rs. 48480-2000/7- 62480-2340/2-67160-2680/7-85920.

Explanation.- Every officer who is governed by the scales of pay as in force as on the 31st October, 2022 shall be fitted in the scale of pay set out as in this sub–regulation as on the 1st November, 2022 on stage-to-stage basis, that is, on corresponding stages from first stage onwards in the respective scales and the increments shall fall on the anniversary date as usual, except where provided otherwise.

(9) The scale of pay for the post of Chief General Manager in Top Executive Grade shall be as under:

Top Executive Grade Scale VIII = Rs. 253000-9000/4 – 289000.

(10) Nothing in sub-regulations (1) to (9) shall be construed as requiring the Bank to have at all times, officers serving in all these grades.

(11) On and from the 1st day of November, 2012, officers shall be paid special allowances as under:

Scale I – III - 7.75 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale IV – V - 10 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale VI – VII - 11 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

(12) On and from the 1st day of November, 2017, officers shall be paid special allowances as under:

Scale I – III - 16.40 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale IV – V - 19 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale VI - VII - 20 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

(13) On and from the 1st day of November, 2022, officers shall be paid special allowances as under:

Scale I - 26.50 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale II – III - 28.30 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale IV – V - 30.50 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale VI - VII - 31.50 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

(14) The special allowance for the post of Chief General Manager in Top Executive Grade shall be as under:

Special Allowance Scale VIII - 28.30 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

Note: The special allowance referred to in sub regulations (11) to (14) with applicable Dearness Allowance thereon shall not be reckoned for superannuation benefits, such as pension including Defined Contributory Pension Scheme (NPS), Provident Fund and Gratuity.".

4. In regulation 5 of the said regulations,–

(a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:–

"(1) Subject to the provisions of sub-regulation (8) of regulation 4, on and from the 1st November, 2022, the increments shall be granted subject to the following, namely:–

(a) the increments specified in the scales of pay set out in sub-regulations (8) and (9) of regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due;

(b) one year after reaching maximum in their respective scales, officers in Scale I and Scale II, shall be granted further increments including stagnation increment in the next higher Scale only as specified in clause (c) below subject to their crossing the efficiency bar;

(c) officers in Junior Management Grade Scale I, who have moved to scale of pay for Middle Management Grade Scale II in terms of clause (b) after reaching maximum of the higher Scale, shall be eligible for seven stagnation increments for every two completed years of service, of which the first two shall be Rs. 2680/– each and the next five shall be of Rs. 2980/- each:

Provided that an officer shall be eligible for the sixth stagnation increment two years after release of fifth stagnation increment or the 1st November 2022, whichever is later:

Provided further that an officer shall be eligible for the seventh stagnation increment four years after release of fifth stagnation increment or the 1st November 2022, whichever is later;

(d) officers in Middle Management Grade Scale II, who have moved to scale of pay for Middle Management Grade Scale III in terms of clause (b), after reaching maximum of higher scale, shall be eligible for seven stagnation increments of Rs. 2980/- each for every two completed years of service:

Provided that an officer shall be eligible for the sixth stagnation increment two years after release of fifth stagnation increment or the 1st November 2022, whichever is later:

Provided further that an officer shall be eligible for the seventh stagnation increment four years after release of fifth stagnation increment or the 1st November 2022, whichever is later;

(e) officers in substantive Middle Management Grade Scale III, that is, those who are recruited in or promoted to Middle Management Grade Scale III shall be eligible for eight stagnation increments, each such increment for every two years of completed service after reaching the maximum of scale out of which first four stagnation increments shall be of Rs. 2980/- each and the next four stagnation increments shall be of Rs. 3360/- each:

Provided that an officer shall be eligible for seventh stagnation increment two years after release of sixth stagnation increment or the 1st November 2022, whichever is later:

Provided further that an officer shall be eligible for the eighth stagnation increment four years after release of sixth stagnation increment or the 1st November 2022, whichever is later;

(f) officers in Senior Management Grade Scale IV shall be eligible for five stagnation increments, each such increment for every two completed years of service after reaching the maximum of scale, of which first stagnation increment shall be of Rs. 3360/- and the next four stagnation increments shall be of Rs. 3680/- each:

Provided that an officer shall be eligible for the third stagnation increment two years after release of second stagnation increment or the 1st November 2022, whichever is later:

Provided further that an officer shall be eligible for the fourth stagnation increment four years after release of second stagnation increment or the 1st November 2022, whichever is later:

Provided also that an officer shall be eligible for the fifth stagnation increment six years after release of second stagnation increment or the 1st November 2022, whichever is later;

(g) officers in Senior Management Grade Scale V shall be eligible for four stagnation increments of Rs. 4000/- for every two completed years of service after reaching the maximum of scale:

Provided that an officer shall be eligible for the second stagnation increment four years after reaching the maximum of scale or the 1st November 2022, whichever is later:

Provided further that an officer shall be eligible for the third stagnation increment six years after reaching the maximum of scale or the 1st November 2022, whichever is later:

Provided also that an officer shall be eligible for the fourth stagnation increment eight years after reaching the maximum of scale or the 1st November 2022, whichever is later;

(h) officers in Top Management Grade Scale VI shall be eligible for three stagnation increments, each of such for every two completed years of service after reaching the maximum scale of pay, out of which first two stagnation increments shall be of Rs. 4000/- each and the third stagnation increment shall be of Rs. 4340/:

Provided that an officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for first stagnation increment of Rs. 4000/- two years after reaching the maximum of scale or the 1st November 2022, whichever is later:

Provided further that an officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for second stagnation increment of Rs. 4000/- four years after reaching the maximum of scale or the 1st November 2022, whichever is later:

Provided also that an officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for third stagnation increment of Rs. 4340/- six years after reaching the maximum of scale or the 1st November 2022, whichever is later;

(i) officers in Top Management Grade Scale VII shall be eligible for three stagnation increments of Rs. 4340/- each for every two completed years of service after reaching the maximum of scale:

Provided that an officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for first stagnation increment, two years after reaching the maximum of scale or the 1st November 2022, whichever is later:

Provided further that an officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for second stagnation increment four years after reaching the maximum of scale or the 1st November 2022, whichever is later:

Provided also that an officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for third stagnation increment, six years after reaching the maximum of scale or the 1st November 2022, whichever is later.

Note: The increments as mentioned in clauses (c) to (i) of this sub-regulation shall not be allowed to an officer who refuses promotion when offered.

Explanation.– Grant of such increments in the next higher scale under this sub-regulation shall not amount to promotion and the privileges, perquisites, duties and responsibilities of the officers shall continue as their substantive posts.";

(b) in sub-regulation (2),–

(i) before the *Explanation*, the following proviso shall be inserted, namely:–

"Provided that on and from the 1st November, 2022, officers completing CAIIB or Part II of Certified Associate of Indian Institute of Bankers examination (CAIIB-II) shall be eligible for two increments in their scale of pay apart from one increment for completing Junior Associate of Institute of Indian Bankers' examination (JAIIB) or Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers examination (CAIIB-I):

Provided further that officers who were in the services of the Bank as on the 1st November, 2022 and have already completed CAIIB or CAIIB-II shall be eligible for second additional increment from the 1st November, 2022 or date of passing CAIIB or CAIIB-II, whichever is later:

Provided also that in case where an officer, as on the 8th March, 2024, has already acquired or acquires JAIIB or CAIIB-I or CAIIB (CAIIB-II) after reaching maximum of the scale of pay (in case of JAIIB or CAIIB), or after reaching the stage which is one stage less than maximum of scale of pay [in case of CAIIB (CAIIB II)] and has not earned increment, otherwise entitled on account of acquiring such qualification, when there were no increments to provide in the scale of pay of those employees, the stagnation increment in such cases may be advanced by one year or two years, as the case may be.";

(ii) in the *Explanation*, after clause (h) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:–

"(i) on and from the 1st November, 2022, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as specified in the following Table, namely:–

TABLE

1	Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers Part-I (CAIIB-I)	Rs.1370/- per month one year after reaching maximum of the Scale.
2	Those who have passed CAIIB or both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB-II)	(a) Rs. 1370/- per month one year after reaching maximum of the Scale; (b) Rs.3425/- per month two years after reaching maximum of the Scale; and (c) Rs.5480/- per month three years after reaching maximum of the Scale:

Provided that an officer acquiring Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers (either or both parts) qualifications after reaching the maximum of the scale of pay, shall be granted from the date of acquiring such qualification, the first installment of Professional Qualification Pay and the release of subsequent installments of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of first installment of Professional Qualification Pay.";

(iii) in the Note, after clause (v), the following clauses shall be inserted, namely:–

"(vi) Officers who were in the services of the Bank as on the 1st November, 2022 and have already completed JAIIB (CAIIB-I) or CAIIB (CAIIB-II) and drawing Professional Qualification Pay -II shall be eligible for Professional Qualification Pay -III one year after the release of Professional Qualification Pay-II or from the 1st November, 2022, whichever is later.

(vii) Officers who have completed JAIIB (CAIIB-I) or CAIIB (CAIIB-II) and has reached the maximum in the scale of pay on or before the 1st November, 2022 and has not received the 1st stagnation increment on or before the 1st November, 2022, shall be eligible for Professional Qualification Pay-I on and from the 1st November, 2022 and release of subsequent instalment of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of Professional Qualification Pay I under this clause.

(viii) Officers in Scale VIII shall not be eligible for Professional Qualification Allowance shall and the same shall not form part of pay slip components.";

(c) in sub-regulation (3),–

(i) the Note after clause (g) shall be omitted;

(ii) after clause (g), the following shall be inserted, namely:–

"(h) On and from the 1st November, 2022, other things being equal, Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance shall be at the following rates and shall remain frozen for the entire period of service:-

TABLE

Increment Component (Rs.)	**Dearness allowance as on 01st November, 2022 on the increment components (Rs.)**	**Total Fixed Personal Pay payable where bank's accommodation is provided (Rs.)**
(1)	**(2)**	**(3)**
2680	200	2880
2980	222	3202
3360	250	3610
3680	274	3954
4000	298	4298
4340	323	4663.

(i) Other things being equal, the Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance for the post of Chief General Manager in Top Executive Grade Scale – VIII, shall be at the rates given in the Table below and shall remain frozen for the entire period of service:–

TABLE

Increment Component (Rs.)	**Dearness allowance on the increment component (Rs.)**	**Total Fixed Personal Pay Payable where Bank's accommodation is provided (Rs.)**
(1)	**(2)**	**(3)**
9000	669	9669.

Note:

(a) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as indicated under column (3) of the Tables in clauses (b), (c), (d), (e), (f), (g) (h) and (i) of this sub-regulation shall be payable to those officers employees who are provided with bank's accommodation.

(b) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be the aggregate amount specified under columns (2) and (3) of the aforesaid Table and House Rent Allowance drawn by the concerned officer employees when the last increment of the relevant scale of pay as specified in sub- regulations (2),(3), (4), (5), (6), (7), (8) and (9) of regulation 4 is earned.

(c) Only officers who are in the service of the Bank on or before the 1st November, 1993 will be eligible for Fixed Personal Pay one year after reaching the maximum scale of pay, they are placed.

(d) On and from the 1st November 1999, there shall be no change in the schedule of release of Professional Qualification Pay as in clause (c) of the *Explanation* to sub-regulation (2) on account of release of Fixed Personal Pay:

Provided that where any installment of Professional Qualification Pay, which on account of the earlier provisions has been shifted by a year and is scheduled for release on or after the 1st November, 1999, it shall be released to the officer on and from this date and second installment of Professional Qualification Pay, if any, shall be released as on the 1st November 2000.

(e) The increment component of Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay shall rank for superannuation benefits.

(f) An officer who has earned the advance increment as in clause (a) above shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as mentioned in clauses (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) and (i) of this sub-regulation, one year after reaching the maximum of the scale.".

5. For regulation 7, the following regulation shall be substituted, namely:–

"(7) Categorisation on appointed date.— Subject to the provisions of regulation 6, the officers in the Bank in the existing posts or scale immediately before the appointed date shall be categorised as specified in the Table below:-

TABLE

POSTS	GRADE or SCALE in which placed
(1)	(2)
Chief General Manager	Top Executive Grade Scale-VIII
General Manager	Top Executive Grade Scale-VII
Deputy General Manager	Top Executive Grade Scale- VI
Assistant General Manager	Senior Management Grade Scale-V
Chief Manager	Senior Management Grade Scale-IV
Senior Manager	Middle Management Grade Scale-III
Manager	Middle Management Grade Scale-II
Officer or Sub-Managers other than those fitted in Scale II	Junior Management Grade Scale I:

Provided that any difficulties or anomalies arising out of the above categorisation, shall be referred to a committee consisting of the Managing Director and Chief Executive Officer and such other person or persons as may be appointed by the Government for this purpose, for its decision.".

6. In regulation 21 of the said regulations,–

(a) In sub-regulation (6), in the *Explanation* in clause (b), for the brackets, letters and word "(g) and (h)", the brackets, letters and word " (g), (h) and (i)" shall be substituted;

(b) after sub-regulation (7), the following sub-regulation (8) shall be inserted, namely:–

"(8) On and from the 1st November, 2022,–

(i) Dearness Allowance shall be payable at 1 per cent. of pay per percentage point of Index;

(ii) Dearness Allowance in the above manner shall be paid for every variation of rise or fall over 123.03 points in the quarterly average of the All India Consumer Price Index (CPI) for Industrial Workers Base 2016=100. 0.01% change in Dearness Allowance on pay' for change in every second decimal place of CPI 2016 over 123.03 points;

(iii) the change in the Dearness Allowance rate shall be released on a quarterly basis on 1st May, 1st August, 1st November and 1st February based on the following, namely:–

S.No.	Dearness Allowance release date	Quarterly average of CPI points of the months	Applicable for the month
1	1st May	January, February and March	May, June and July
2	1st August	April, May and June	August, September and October
3	1st November	July, August and September	November, December and January
4	1st February	October, November and December	February, March and April;

(iv) there shall be no ceiling on Dearness Allowance;

(v) while working out quarterly average, only first two decimals shall be considered.".

7. In regulation 22 of the said regulations, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:–

'(1) On and from the 1st November, 2022,–

(a) where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 0.35 per cent. of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, shall be recovered from him;

(b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the rates specified in the following Table, namely:–

TABLE

SN	Place of work	House Rent Allowance
(1)	**(2)**	**(3)**
1	Major "A" Class Cities and Project Area Centres in Group A	10.0% of Pay
2	Other places in Area I and Project Area Centres in Group B and State of Goa	9.0% of Pay
3	Other places	8.0% of Pay:

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 0.35 per cent. of pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed with a maximum of 150 per cent. of the House Rent Allowance payable as per aforesaid rates mentioned in column (3) of the above Table.

Note: The claims of officers for House Rent Allowance linked to the cost of their ownership accommodation shall also be restricted to 150 per cent. of House Rent Allowance as hitherto.'.

8. In regulation 23 of the said regulations,–

(a) for sub regulations (1) and (2), the following sub-regulations shall respectively be substituted, namely:—

"(1) On and from the 1st November, 2022, if an officer is serving in a place mentioned in column (2) of the Table below, a city compensatory allowance at the rate mentioned in column (3) thereof against that place shall be payable.

TABLE

SN	Places	Rate
(1)	**(2)**	**(3)**
1	Places in Area 1 and above and in the State of Goa	Rs. 2300/- per month
2	Places with population of five lakhs and over and state capitals and Chandigarh, Puducherry and Port Blair	Rs. 1900/- per month.

(2) On and from the 1st November, 2022, the rates of special areas allowances shall be as specified in the Schedule to these regulations:

Provided that where at any of the places indicated in column (2) of the Schedule, Hill and Fuel allowance as provided under sub-regulation (10) is also payable, then the officer shall be eligible to draw only higher of the two allowances and not both:

Provided further that of such higher of the two allowances is less than the aggregate of special Allowance and Hill and Fuel Allowance drawn by the officer on the 31st December, 1989, then such difference shall be protected as personal allowance till such time the officer remains at that place.";

(b) for sub regulations (4), (5), (6) and (7), the following sub-regulations shall be substituted, namely:—

"(4) On and from the 1st April 2024, if an officer is transferred from one place to another in the middle of an academic year and if he has one or more children studying in school or college, in the former place, he shall be eligible for a mid-academic year transfer allowance of Rs. 2500/- per month per child with a maximum upto two children, from the date he reports to the latter place upto the end of the academic year:

Provided that such allowance shall cease to be payable if all the children cease studying at the former place.

(5) On and from the 1st April, 2024, if an officer is deputed to serve outside the Bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed, or he may in addition to his pay, draw a deputation allowance at the rate of 7.75 per cent. of pay subject to a maximum of Rs. 7500/- per month and such other allowances he would have drawn had he been posted in the Bank's service at that place:

Provided that where such officer is deputed to an organisation which is located at the same place or to the training establishment not owned by the Bank, where he was posted immediately prior to his deputation or to the training establishment not owned by the Bank, he shall receive a deputation allowance equal to 4 per cent. of his pay subject to a maximum of Rs. 3750/- per month:

Provided further that where an officer is deputed to another office or branch within the same municipal limits or urban agglomeration, in Metro or Major A class cities where the distance of such deputation is 20 kms and more from the parent branch or office, he shall be eligible for halting allowance as mentioned in sub-regulation (4) of regulation 41.

(6) On and from 1st April, 2024, if an officer is required to officiate in a post in a higher scale for a continuous period of not less than four days at a time or an aggregate of four days during a calendar month, he shall receive an officiating allowance equal to 15 per cent. of his Basic Pay, pro-rata for the period for which he officiates and officiating allowance will rank as pay for the purposes of Provident Fund and Pension only

Provided that where an officer comes to officiate in a higher scale, as a consequence solely of the review of the categorisation of posts under regulation 6, he shall not be eligible for the Officiating Allowance for a period of one year from the date on which the review of the categorisation takes effect.

(7) On and from the 1st April 2024, an officer shall be entitled for a closing allowance of Rs.1500/- per quarter for each of the closing.";

(c) for sub-regulations (10), (11), (12) and (13), the following sub-regulations shall respectively be substituted, namely:–

"(10) On and from the 1st November 2022, an officer shall be eligible for the Hill and Fuel Allowance as specified in the Table below, namely:

TABLE

SN	Place	Rate
(1)	**(2)**	**(3)**
1	Place with an altitude of 1000 metres and above but less than 1500 metres and Mercara Town	2% of pay subject to a maximum of Rs.1450/- per month
2	Place with an altitude of 1500 metres and above but less than 3000 metres	2.5% of pay subject to a maximum of Rs.1900/- per month
3	Place with an altitude of 3000 metres and above	5% of pay subject to a maximum of Rs.3750/- per month.

(11) On and from the 1st November 2022, an officer shall be eligible for Learning Allowance of Rs. 850/- per month along with Dearness Allowance thereon.

Note: The Learning Allowance with applicable Dearness Allowance thereon shall not be reckoned for superannuation benefits, that is, Pension including Defined Contributory Pension Scheme (NPS), Provident Fund (PF) and Gratuity.

(12) On and from the 1st November 2022, an officer shall be eligible for a Fixed Location Allowance of Rs.1200/- per month, who are posted in areas other than the areas that are eligible for City Compensatory Allowance, which shall not be reckoned for payment of Dearness Allowance, superannuation benefits, that is, pension including Defined Contributory Pension Scheme (NPS), Provident Fund (PF) and Gratuity.

(13) (a) From the financial year 2023-24 Performance Linked Incentive (PLI) shall be payable to all officer employees based on the metrics put in place by the Competent Authority of the Bank as per their priorities from the following select parameters:

a Current Account Savings Account (CASA)

b. Non-Performing Asset (NPA)

c. Special Mention Account (SMA)

d. Non – interest income

e. Total Business

f. Profitability

g. Return on Asset (ROA) or Return on Equity (ROE)

h. Government Schemes.

(b)The Performance Linked Incentive (PLI) amount shall be payable in 0-15 (max) number of days of pay (Basic + Dearness Allowance) depending on the metrics put in place by the Competent Authority as mentioned in clause (a).".

i. In regulation 24 of the said regulations, (a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:–

"(1) On and from the 1st November, 2022, an officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses for self and family on the strength own certificate of the officer of having incurred such expenditure, supported by a statement of accounts for the amounts claimed as specified in the Table below, namely:-

TABLE

SN	Grade	Maximum limit of reimbursement
(1)	(2)	(3)
1	Junior Management and Middle Management Grade	Rs.13000/- per annum or the amount incurred, whichever is less
2	Senior Management and Top Executive Grade	Rs.15400/- per annum or the amount incurred, whichever is less.

Note 1:- An officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above.

Note 2:- For the calendar year 2022, the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for two months, that is, November, 2022 and December, 2022.";

(b) after sub-regulation (3), the following sub-regulation may be inserted, namely:–

"(4) All Officer employees shall also be eligible for reimbursement of Rs. 500/- per year towards eye check-up.".

j. In regulation 25 of the said regulations, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:–

"(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), it shall be open to the Bank to provide residential accommodation to an officer on payment by the officer, on and from the 1st November, 2022, a sum equal to 0.35 per cent. of the Basic Pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less:

Provided that where the officer is provided with furniture at such residence, a further sum equal to 0.075 per cent. of Basic Pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed shall be recovered by the Bank from him:

Provided further that where such residential accommodation is provided by the Bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.".

k. In regulation 31 of the said regulations, the following proviso shall be inserted, namely:–

"Provided that where the Sanctioning Authority refuses or postpones the leave of the officer, it shall record the reasons for the same in writing.".

l. In regulation 32 of the said regulations, after sub-regulation (2) and before the *Explanation*, the following sub-regulation shall be inserted, namely:–

"(3) On and from the 1st April, 2024, an officer employee shall be eligible to avail two days casual leave for half- a day on four occasions in a year out of which two occasions shall be in the morning and two occasions in the afternoon:

Provided that casual leave under this category shall be availed after applying 24 hours in advance.

Provided further that at the time of carrying over the balance in casual leave to unavailed casual leave account, the fraction in the balance, if any, shall be ignored.".

13. In regulation 33 of the said regulations,–

(a) for sub-regulations (4) and (5), the following sub-regulations shall respectively be substituted, namely: –

"(4) On and from the 1st June, 2015, privilege leave may be accumulated upto not more than two hundred and seventy days, except where leave has been applied and it has been refused:

Provided that on and from the 1st April, 2024, encashment of privilege leave shall be restricted upto a maximum of two hundred and fifty five days:

Provided further that an Officer shall also be eligible for encashment of privilege leave at the rate of five days for each calendar year at the time of any festival of his choice and an officer who have already completed fifty-five years of age and above shall be eligible to encash privilege leave at the rate of 7 days for each calendar year till his retirement.

(5) An officer desiring to avail privilege leave shall ordinarily give not less than ten days notice of his intention to avail such leave except for the purpose of Leave Fare concession:

Provided that on and from the 1st April, 2024, no such advance notice of 10 days shall be required for availing privilege leave for office bearers and Executive Committee members of a registered Trade Union.";

(b) after sub-regulation (6), the following sub-regulation shall be inserted, namely:–

"(7) On and from the 1st April, 2024, for the purposes of calculating privilege leave, all types of leave availed except casual leave and mandatory leave shall be excluded.".

14. In regulation 34 of the said regulations,–

(a) in sub-regulation (1), the following proviso shall be inserted, namely:–

"Provided that on and from the 1st April, 2024, an officer shall be eligible for sick leave at the rate of one month for each year of service:

Provided further that the total number of sick leave (including additional sick leave mentioned in regulation 35) shall not exceed seven hundred and twenty days in the entire service of the officer.";

(b) after sub-regulations (5), the following sub-regulations shall be inserted, namely:–

"(6) On and from the 1st April, 2024, a single male parent employee may avail sick leave for the sickness of his children of 8 years and below subject to production of medical certificate.

(7) On and from the 1st April, 2024, a women employee may avail one day sick leave per month without production of medical certificate.

(8) On and from the 1st April, 2024, officer employees may avail sick leave for the sickness of their special child of fifteen years and below for a maximum period of ten days in a calendar year subject to production of medical certificate.

(9) On and from the 1st April, 2024, officer employees of the age of fifty-eight years and above, may avail sick leave towards hospitalisation of his or her spouse at a centre other than place of work for a maximum period of thirty days in a calendar year.".

15. In regulation 36 of the said regulations, in sub-regulation (1),—

a. for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:–

"(a) A Female employee shall be eligible for maternity leave on substantive pay for a period not exceeding six months on any one occasion and twelve months during the entire period of her service:

Provided that in case of delivery of twins, the period of maternity leave shall be eight months:

Provided further that on and from the 1st April, 2024, in case of delivery of more than two children in one delivery, the period of maternity leave shall be twelve months:

Provided also that maternity leave may be availed by combining it with any other kind of leave except casual leave.";

b. for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:–

"(d) A Female employee may avail leave once during service for legally adopting a child who is below one year of age, for a maximum period of nine months, subject to the following terms and conditions, namely: -

i. leave will be granted for adoption of only one child;

ii. the adoption of a child should be through a proper legal process and the employee should produce the adoption-deed to the Bank for sanctioning such leave;

iii. the leave shall also be available to biological mother in cases where the child is born through surrogacy;

iv. the leave shall be availed within overall entitlement of twelve months during the entire period of service.";

(iii) after clause (e), the following clauses shall be inserted, namely:–

"(f) On and from the 1st April, 2024, maternity leave may be availed for in vitro fertility (IVF) treatment subject to production of medical certificate within the overall limit of twelve months.

(g) On and from the 1st April, 2024, special maternity leave may be availed by a female employee upto sixty days in case of a still born or death of the infant within twenty-eight days of birth.".

16. For regulation 37A of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:—

"37A. Special casual leave and special leaves.— (1) With effect from the 1st November, 2020, an officer employee shall be eligible for special casual leave on occasions when the branch where the officer is working, or the place where he is residing, is affected by curfew, riots, prohibitory orders, natural calamities, floods, etc,

(2) With effect from the 1st November, 2020, a physically or orthopedically handicapped officer shall be eligible for four days special casual leave.

(3) With effect from the 1st April, 2024, the Principal Officer Bearers of All India Officers' Unions or Associations shall be granted Special Leave upto twenty-five days in a calendar year.

(4) With effect from the 1st April, 2024, officers who are defense representatives in departmental enquiry, may avail one day special leave for the purpose of preparing the defense submission of an officer employee:

Provided that such special leave shall be availed for a maximum of ten occasions in a year.

(5) An officer may also be granted special casual leave and any special leave as may be decided by the Board in accordance with the guidelines issued by the Government from time to time.".

17. After regulation 37A of said regulations, the following regulation shall be inserted, namely:–

"37B. Bereavement Leave.– An officer employee shall be granted bereavement leave on the demise of the family members (Spouse, children, parents and parents-in-law) for such number of days as may be decided by the Board from time to time:

Provided that the intervening holidays shall form part of the bereavement leave:

Provided further that the said leave should be availed within a maximum period of fifteen days of the demise:

Provided also that the said leave shall not be considered as "Active service" for the purpose of calculation of privilege leave.".

18. In regulation 41 of the said regulations,–

(a) for sub regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:–

"(1) On and from the 1st April, 2024, wherever an officer is required to travel on duty, the following provisions shall apply, namely:—

(a) an officer in Junior Management Grade shall be entitled to travel by AC 1st class by any train including Premium Trains like Rajdhani or Shatabdi or Tejas or Vande Bharat or Amrit Bharat, etc. (except luxury trains):

Provided that such officer may, however, travel by air (economy class) if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest;

(b) an officer in Middle Management Grade shall be entitled to travel by AC 1st Class by any train including Premium Trains as mentioned in clause (a):

Provided that he may travel by air (economy class) if the distance to be travelled is more than 500 kilometers:

Provided further that he may travel by air (economy class) even for shorter distance, if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest;

(c) an officer in Senior Management or Top Executive Grade is entitled to travel by AC 1st Class by any train including premium trains (as mentioned in clause (a)) or by air (economy class);

(d) an officer in Senior Management or Top Executive Grade may travel by car between places not connected by air or rail provided that the distance does not exceed 500 kilometers:

Provided that when a major part of the distance between the two places can be covered by air or rail, only the rest of the distance should normally be covered by car;

(e) an officer may be authorised by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business, to travel by his own vehicle or by taxi or by the Bank's vehicle;

(f) an officer of any grade or scale shall be eligible to travel by water transport in deluxe cabin category between places not connected by road or air or rail;

(g) an officer shall be eligible for fare by premium trains (except luxury trains).

Note 1: Goods and Service Tax charges levied on train fare shall be over and above the entitlement.

Note 2: In view of prevailing dynamic fare system, the cost of train tickets charged on the date of booking shall be reimbursed.";

(b) in sub-regulation (2), after clause (ii), the following *Explanation* shall be inserted, namely:–

Explanation.– for the purposes of this clause, on and from the 1st February, 2023, the rate per kilometer shall be as under:

Sr. No.	Type of Vehicle	Rate of Reimbursement per km.
1.	Four Wheeler – Engine capacity of 1000 cc or more	Rs. 11.00/-
2.	Four Wheeler – Engine capacity of less than 1000 cc	Rs. 9.00/-
3.	Motor Cycle and Scooter	Rs. 6.00/-
4.	Mopeds	Rs. 4.00/-.";

(c) in sub-regulation (4), for clauses (a) and (b), the following clauses shall be substituted, namely:–

'4.(a) On and from the 1st April, 2024, an officer in the grades or scales set out in column (2) of the Table shall be entitled to *per diem* Halting Allowance at the corresponding rates set out in column (3) thereof, namely:–

TABLE

SN	Grades or Scales of officers	Halting Allowance			
(1)	(2)	(3)			
		Metro Rs.	Major `A' Class cities Rs.	Area I Rs.	Other Places Rs.
1	Officers in Scale VI and above	4050	2925	2475	2150
2	Officers in Scale IV and V	3375	2925	2475	2150
3	Officers in Scale I, II and III	2925	2475	2150	1800:

Provided that where the total period of absence is less than eight hours but more than four hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

Explanation.– For the purpose of computing Halting allowance, "*per diem"* shall mean each period of twenty-four hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival and where the total period of absence is less than twenty-four hours, *per diem* shall mean a period of not less than eight hours.

(b) An Officer in the Grade or Scales set out in column (1) of the Table below may be reimbursed the actual hotel expenses, restricting to single room accommodation charges in India Tourism Development Corporation Hotels of the corresponding star category set out in column (2) thereof, as under:

Grades or Scales of officers	**Eligibility to stay**
(1)	**(2)**
Scale VI and above	4 Star Hotel
Scale IV and V	3 Star Hotel
Scale II and III	2 Star Hotel (Non AC)
Scale I	1 Star Hotel (Non AC)

The Board may prescribe reimbursement of additional limit in excess of the limits specified above, in accordance with the guidelines of the Government.".

19. In regulation 42 of the said regulations,–

(a) in sub-regulation (2), in clause (i), the following shall be inserted, namely:–

Provided that on and from the 1st February, 2023, an officer on transfer shall be reimbursed his expenses for transportation of his personal effects from one place to another considering the fact that shipments are happening only through lorry, up to the following limits:

Pay Range (Rs.)	Officer with family	Officer with no family
48480 – 64820	3000 Kgs or 3 Tonne	1500 Kgs or 1.5 Tonne
64821 and above	12000 Kgs or 12 Tonne	2500 Kgs or 2.5 Tonne

The rates approved by the Board are as under:-

Distance in kilometers	Rate in rupees per tonne per km
Upto 1000 Kms	Rs. 5.90
Beyond 1000 kms	Rs. 4.25

Note 1: The above rates shall be applicable on slab wise basis, that is, for the first 1000 kms, the rate applicable shall be Rs. 5.90/- per km and thereafter it shall be Rs. 4.25/- per km.

Note 2: In case of officers transferred to shorter distance upto 300 kms, the reimbursement may be permitted up to 300 kms.

Note 3: In case of Officers transferred to and from hilly terrains, they shall be reimbursed to the extent of two times of the applicable rate for the distance covered in hilly terrain and at normal rate for the balance distance.";

(b) for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely:–

"(3) On and from the 1st April, 2024, an officer on transfer shall be eligible to draw a lump sum amount for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage, etc., as specified in the Table below, namely:

TABLE

S.No.	Grade/Scale	Amount
(1)	**(2)**	**(3)**
1	Senior Management and Top Executive (Officers in Scale IV and above)	Rs. 50000/-
2	Junior Management and Middle Management (Officers upto Scale III)	Rs. 40000/-.";

(c) in sub-regulation (4), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:–

"Provided that on and from the 1st April, 2024, where no residential accommodation is made available by the Bank to an officer at the new place of posting and where such an officer may incur additional expenses in the process of taking over charge, for reasons beyond his control, the Competent Authority, from the date of joining of such officer at the new place, may on merits consider grant of either lodging and boarding charges, or Halting Allowance for a period of fifteen days or till the time the quarters are made available to him, whichever is earlier.".

20. For regulation 44 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:–

"44.(1) During each block of four years, an officer shall be eligible for Leave Travel Concession for travel to his place of domicile once in each block of two years:

Provided that he may travel in one block of two years to his place of domicile and in another block of two years to any place in India by the shortest route.

(2) With effect from the 1st April, 2024, alternatively, an officer by exercising an option anytime during a four year block or two year block, as the case may be, surrender and encash his Leave Travel Concession (other than travel to place of domicile) upon which he shall be entitled to receive an amount equivalent to the eligible fare for the class of travel by train to which he is entitled up to a distance of 5,500 kilometers (one-way) for officers in Junior Management Grade Scale I, Middle Management Grade Scale II and Middle Management Grade Scale III and 6,500 kilometers (one-way) for officers in Senior Management Grade Scale IV and above:

Provided that an officer opting to encash his Leave Travel Concession, shall prefer the claim for himself and his family members only once during the block in which such encashment is availed of and the facility of encashment of privilege leave while availing of Leave Travel Concession is also available while encashing the facility of Leave Travel Concession.

(3) The mode and class by which an officer may avail of Leave Travel Concession shall be the same as the officer is normally entitled to travel on transfer and other terms and conditions subject to which the Leave Travel Concession may be availed of by an officer, shall be as decided by the Board from time-to-time:

Provided that with effect from the 1st April, 2024, an officer in Junior Management Grade Scale I, while availing Leave Travel Concession, shall be entitled to travel by air in the lowest fare economy class, in which case the reimbursement shall be the actual fare or the fare applicable to AC 1st Class fare by train for the distance travelled, whichever is less, and the same rules shall apply when an officer in Middle Management Grade Scale II and Middle Management Grade Scale III avails Leave Travel Concession, where the distance is less than 500 kilometers.

(4) Once in every four years, when an officer avails of Leave Travel Concession, he may be permitted to surrender and encash his privilege leave not exceeding thirty days at a time or he may, while travelling in one block of two years to his home town and in other block any place in India, be permitted encashment of privilege leave with a maximum of fifteen days in each block or thirty days in one block and for the purpose of leave encashment all the emoluments payable for the month during which the leave travel concession is availed shall be admissible:

Provided that an officer, at his option, shall be permitted to encash one day additional privilege leave for donation to Prime Minister's Relief Fund subject to his giving a letter to the Bank to that effect and authorising the bank to remit the amount to the fund.

(5) Leave Travel concession can be availed independently where both husband and wife are working in the same Bank.

(6) For employees working in North-east States, Leave Travel concession shall begin from Guwahati and the eligible train fare from their place of work to Guwahati shall be additionally paid.

(7) The eligible fare for Andaman and Nicobar Islands to Chennai or Kolkata, Lakshadweep to Kochi, far-flung area branches in Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Jammu and Kashmir or any other areas which are not directly connected by train shall be additionally reimbursed under Leave Travel Concession in addition to normal entitlement for the employees working in these areas to the nearest major Railway Station.

(8) Leave Travel Concession facility shall be allowed for an escort who accompanies an officer with benchmark disabilities on the journey subject to following conditions, namely:–

(a) prior approval of the competent authority is obtained on each occasion;

(b) the nature of physical disability of the officer is such as to necessitate an escort for the journey and in case of doubt, the decision of the head of the Department or Controller shall be final;

(c) the officer with such benchmark disabilities does not have an adult family member as dependent to accompany him;

(d) the officer with such benchmark disabilities and the escort shall avail of the concession, if any, in the rail or bus fare as might be extended by Railways or State Roadways authorities in such cases; and

(e) any other person who is entitled to Leave Travel concession as dependent does not accompany the officer with such benchmark disabilities on the journey.

(9) Where an officer has applied for Leave Travel Concession or leave in advance and has also booked the tickets and the Leave Travel Concession is declined or deferred by the management, the cancellation charges shall be reimbursed by the Bank.

(10) Where an officer has applied for Leave Travel Concession or leave as per stipulated time and the same is sanctioned and when advance booking of train tickets is not possible, tickets purchased under Tatkal or Premium tatkal shall be reimbursed.".

21. For the Schedule to the said regulations, the following Schedule shall be substituted, namely:–

"SCHEDULE

[*See* sub-regulation (2) of regulation 23]

On and from the 1st day of November, 2022, an officer shall be eligible for Special Area Allowance till such time they are withdrawn or modified, either wholly or partially, as specified in the Table below, namely:–

TABLE

Special Area Allowance

Sl. No.	Place	Allowances (in Rs.)	
		Pay below Rs.48,481/-	Pay above Rs. 48,481/-
(1)	(2)	(3)	(4)
1	**Mizoram**		
	(a) Chimptuipui District and areas beyond 25 kms from Lunglei Town in Lunglei District.	4100	5300
	(b) Entire Lunglei District excluding areas beyond 25 kms from Lunglei town	4100	5300
	(c) Entire Aizawl District	2700	3400
2	**Nagaland**	4100	5300
3	**Andaman and Nicobar Islands**		
	(a) North Andaman, Middle Andamans, Little Andaman, Nicobar and Narcondum Islands	4100	5300
	(b) South Andaman (including Port Blair)	4100	5300

4	**Sikkim**	4100	5300
5	**Lakshadweep Islands**	4100	5300
6	**Assam**	1000	1200
7	**Meghalaya**	1000	1200
8	**Tripura**		
	(a) Difficult areas of Tripura	4100	5300
	(b) Throughout Tripura except Difficult areas	2700	3400
9	**Manipur**	2700	3400
10	**Arunachal Pradesh**		
	(a) Difficult areas of Arunachal Pradesh	4100	5300
	(b) Throughout Arunachal Pradesh except Difficult areas	4100	5300
11	**A.– Union Territory of Jammu and Kashmir**		
	(1) **Kathua District**: Niabat Bani, Lohi, Malhar and Machhodi	4100	5300
	(2) **Udhampur District**:		
	(a) Dudu Basantgarh, Lander Bhamag Illaqa, Thakrakote and Nagote	4100	5300
	(b) All Areas in Mahore tehsil other than those included in (c) Below	4100	5300
	(c) Areas upto Goel from Kamban Side and Areas upto Arnas from Keasi side in Tehsil Mohre	4100	5300
	(3) **Doda District**: Illaquas of Padder and Niabat Nowgam in Kashmir Tehsil	4100	5300
	(4) **Baramulla District**:		
	(a) Entire Gurez-Nirabat, Tangdar Sub-Division and Keran Illaqua	4100	5300
	(b) Matchill	4100	5300
	5) **Poonch and Rajouri District**: Areas in Poonch and Rajouri District excluding the towns of Poonch and Rajouri and Sunderbani and other urban areas in the two Districts	2700	3400
	6) Areas not included in (1) to (5) above, but which are within the distance of 8 kms. from the Line of Actual Control (LOC) or at places which may be declared as qualifying for Border Allowance from time to time by the State Government for their own staff.	2700	3400
B.	**Union territory of Ladakh:** **Leh District**: Noyama and Nobre Zanskar All other places in the District	4100	5300
12	**Himachal Pradesh**		
	(1) Chamba District		
	(a) Pangi Tehsil, Following Panchayats and Villages in Bharmour Tehsil: Panchayats: Badgaun, Bajol, Deol Kugti, Nayagam and Tunda Villages: Ghatu of Gram Panchayat Jagat, Kanarsi of Gram Panchayat Chauhata	4100	5300
	(b) Bharmour Tehsil, excluding Panchayats and Villages included in (a) above	4100	5300
	(c) Jhandru Panchayat in Bhartiyat Tehsil, Churah Tehsil, Dalhousie Town (including Banikhet Proper)	2700	3400
	(2) Kinnaur District		
	(a) Asrang, Chitkul and Hango Kuno or Charang Panchayats,	4100	5300

	15/ 20 Area comprising the Gram Panchayats of Chhota Khamba, Nathpa and Rupi, Pooh Sub-Division, excluding the Panchayat areas specified above		
	(b) Entire District other than areas included in (a) above	4100	5300
	(3) Kullu District		
	(a) 15/20 Area of Nirmand Tehsil, comprising the Gram Panchayats of Kharga, Kushwar and Sarga	4100	5300
	b) Outer-Saraj (excluding villages of Jakat-Khana and Burrow in Nirmand Tehsil) and entire District excluding outer Seraj area and pargana of Pandrabis but including villages Jagat-Khana and Burao of Tehsil Nirmand)	2700	3400
	(4) Lahaul and Spiti District: Entire area of Lahaul and Spiti	4100	5300
	(5) Shimla District		
	(a) 15/20 area of Rampur Tehsil comprising of Panchayats of Koot, Labana-Sadana, Sarpara and Chandi-Branda	4100	5300
	(b) Dodra-Kawar Tehsil, Gram Panchayat of Darkali in Rampur, Kashapath Tehsil and Munish, Ghori Chaibis of Pargana Sarahan	4100	5300
	(c) I Chopal Tehsil (i) Ghoris, Panjgaon, Patsnau, Naubis and Teen Koti of Pargana Sarahan; (ii) Deothi Gram Panchayat of Taklesh Area; (iii) Pargana Barabis; and (iv) Kasba Rampur and Ghori Nog of Pargana Rampur of Rampur Tehsil; (v) Shimla Town and its suburbs (Dhalli, Jatog, Kasumpti, Mashobra, Taradevi and Tutu)	2700	3400
	(6) Kangra District:		
	(a) Areas of Bara Bhangal and Chhota Bhangal	4100	5300
	(I) Dharamshala Town of Kangra District and the following offices located outside the Municipal limits but included in Dharamshala Town: (a) Women's ITI, Dari, (b) Mechanical Workshop, Ramnagar, (c) Child Welfare and Town and Country Planning Offices, Sakoh, (d) CRSF Office at lower Sakoh, (e) Kangra Milk Supply Scheme, Dugiar, (f) HRTC Workshop, Sadher, (g) Zonal Malaria Office, Dari, (h) Forest Corporation Office, Shamnagar, (i) Tea Factory, Dari, (j) I.P.H. Sub- Division, Dari (k) Settlement Office, Shamnagar, (l) Binwa Project, Shamnagar, (II) Palampur Town, including HPKVV Campus at Palampur and the following offices located outside its municipal limits but included in Palampur Town – (a) H.P. Krishi Vishwavidhalaya Campus, (b) Cattle Development Office or Jersey Farm, Banuri,	2700	3400

	(c) Sericulture Office or Indo-German Agriculture Workshop or HPPWD Division, Bundla, (d) Electrical Sub-Division, Lohna, (e) D.P.O. Corporation, Bundla, (f) Electrical HPSE Division, Ghuggar		
	(7) **Mandi District**:		
	Chhuhar Valley of Jogindernagar Tehsil, Panchayats in Thunag Tehsil: Bagraa, Chatri, Chhotdhar, Garagushain, Gatoo, Garyas, Janjheli, Jaryar, Johar Kalhani, Kalwan, Kholanal, Loth, Silibagi, Somachan, Thachdhar, Tachi, Thana, Following Panchayats of Dharampur Block: Binga, Kamlah, Saklana, Tanyar and Tarakholah, Panchayats of Karsog Tehsil – Balidhar, Bagra, Gopalpur, Khajol, Mahog, Mehudi, Manj, Pekhi, Sainj, Sarahan and Teban, Panchayats of Sundernagar Tehsil – Bohi, Batwara, Dhanyara, Paura-Kothi, Seri and Shoja	2700	3400
	(8) **Sirmaur District**: (a) Following Panchayats of i) Bani, Bakhali (Pachhad Tehsil), ii) Bharog Bheneri (Paonta Tehsil), iii) Birla (Nahan Tehsil), iv) Dibber (Pachhad Tehsil) and v) Thana Kasoga (Nahan Tehsil) b) Thansgiri Tract	2700	3400
	(9) **Solan District**: Mangal Panchayat.	2700	3400
	(10) Remaining areas of Himachal Pradesh not included in (1) to (9) above	1000	1200
13	**Uttarakhand:** Areas under Chamoli, Pithoragarh, Uttarkashi, Rudraprayag and Champavat Districts	4100	5300
14	**West Bengal: South 24 Parganas District** Sunderban Areas (south of Dampier Hodge's line), namely, Bhagatush Khali (Rampura), Kumirmari (Bagna), Jhinga Khali, Sajnakhali, Gosaba, Amlamathi (Bidya), Canning, Kultali, Piyali, Nalgaraha, Raidighi, Bhanchi, Pathar Pratima, Bhagabatpur, Saptamukhi, Namkhana, Sikarpur, Kakdwip, Sagar, Mousini, Kalinagar, Haroa, Hingalganj, Basanti, Kuemari, Kultola, Ghushighata (Kulti)	1000	1200.".

RAJESH CHANDAN PANDEY, General Manager (HRD)

[ADVT.-III/4/Exty./126/2025-26]

Note: The Punjab & Sind Bank (Officers') Service Regulations, 1982 were notified in the Gazette of India, and the regulations were subsequently amended vide the following notifications published in the Gazette of India, Part III, Section-4, namely:-

SL.NO.	NOTIFICATION NO	DATED	PUBLICATION DATE
1.	No.PSB/STAFF/OSR/1990	18.04.1990	
2.	No.PSB/STAFF/OSR/1991	03.05.1991	08.05.1991
3.	No. PSB/STAFF/OSR/1992	19.05.1992	21.05.1992
4.	No. PSB/STAFF/OSR/1995	15.02.1995	21.02.1995
5.	No.PSB/STAFF/OSR/1996	08.10.1996	09.10.1996

6.	No.PSB/STAFF/OSR/1997	13.01.1997	27.01.1997
7.	No.PSB/STAFF/OSR/1999	23.06.1999	24.07.1999
8.	No.PSB/STAFF/OSR/2000	28.06.2000	07.07.2000
9.	No.PSB/STAFF/OSR/2000	20.07.2000	12.08.2000
10.	No.PSB/STAFF/OSR/2002	28.10.2002	06.11.2002
11.	No.PSB/STAFF/OSR/2003	13.06.2003	28.06.2003
12.	No.PSB/STAFF/OSR/2006	7.10.2006	20.10.2006
13.	No.PSB/STAFF/OSR/2017	11.10.2017	21.12.2017
14.	No.PSB/STAFF/OSR/2017-A	11.10.2017	21.12.2017
15.	No.PSB/STAFF/OSR/2018	12.03.2018	05.09.2018
16.	No.PSB/STAFF/OSR/2021	02.12.2021	24.12.2021
17	No.PSB/HRD/OSR/2024-25/01	26.11.2024	26.11.2024

EXPLANATORY MEMORANDUM

These Regulations which have been given retrospective effect are as per the agreed terms and conditions of the Joint Notes signed between the Indian Banks' Association on behalf of member banks on the basis of specific mandate given by the respective banks in this regard and apex level officers' associations of the Banks. Therefore, interests of no person shall be adversely affected by such retrospective effect.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.05.29 14:32:18 +05'30'